

Haryana Vidhan sabha

Debates

29th March 1967

Vol. I No. 7

OFFICAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, the 29th March 1967

Starred Questions and Answers	1
Unstarred Questions and answers	18
Call Attention Notices	22
Motion under Rule 30	26
Demands for Grants on account from April to June 1967	26
1 Discussion on Demands for Grants on account (Contd.)	26
Personal Explanation by Shri Ram Dhari Balmiki	45
Resumption of Discussion on Demands for Grant on Account (contd.)	45
(II) Voting of the Demands for Grants on Account	59-62

Haryana Vidhan sabha

Wednesday. The 29th March 1967

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhawan, Chandigarh at 10:00 A.M. of the Clock. Mr. Deputy Speakeer (Chaudhri Manphool Singh) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

श्रीमति ओम प्रभा जैन: आन ए प्वायंब आफ आर्डर सर। सवालॉकी लिस्ट या जो आज का एजेंडा हैं यह दोनों किसी भी मेम्बर के पास नहीं पहुचें। इलन के बगैर हमारे लिउ यह जानना बहुत मुशिकल है कि हमनें कौन से सवाल आज पूछनें हैं। आज हमें लिस्ट आफ बिजनैस बिल्कुल सप्लाई नहीं कि गई।

श्री उपाध्यक्ष: मैं इस के बारे में आफिस से इनक्वायर करूंगा।

मुझे अभी बताया गया है कि लिस्ट आफ बिजनैस तमाम मेम्बर्ज के घरों पर भेज दी गई थी।

Chaudhari Riza Ram: I state not for the sake of criticism, but for a fact, I that during the last ¾ days no list of business, etc. has been suplid to the Members.

I.C.S. and P.C.S. Officers allocated to Haryana

***26, Chaudhari Ram Lal:** Will the Chekf Minister be pleased to state the number and names of I.C.S and P.C.S. Officers, respectively, who have been allocated to Haryana as a result of the re-organization of the Punjab State together with the name of the Department in which each of the has been posted at present?

Rao Birender Singh: A statement showing the number and names of I.CS. and P.C.S. Officers allocated to Haryana and their present posting as laid on the table of the House.

STATEMENT

Statement showing the number and names I.C.S. and P.C.S. Officers allocated to Haryana and their present posting

Name	Present posting
I.C.S. OFFICERS	
Shri Nakul Sen	On deputation to the Government of India

Shri B.S Grewal	Financial Commissioner, Revenue
Shri kewal Singh Chaudhary	He stands permanently seconded to the Indian Foreign Service
Shri Saroop Krishan	Chief Secretary
Shri S. Vorah	On deputation to the Government of India
Shri N.N. Kashyap	Ditto
Shri N.K. Makarji	Ditto
P.C.S OFFICERS	
Shri Jagdish Chandra	Deputy Secretary, Education
Sahri Sarnagat Skingh	Under Sectary, Education
Shri Bhupinder Singh Malik	Sub-Divisional Officers, Rewari
Shri Madhusudan Singh	Land Acquisition Officer, UrbanEstate Eirectorate, Haryana at Chandigarh
Shri Deokinanadan Bansal	On deputation to the Government of India
Shri Ram Narian	Deputy Director, Urban Local Bodies, Rohtak

Shri Hoshiar Singh	On deputation with the Chandigarh Administration
Shri L. Isa Dass	Deputy Commissioner, Rohtak
Shri M.R. Vaid	Deputy Secretary, Home
Shri Raghbir Sarup bhatnagar	Joint Registrar, Co-operative Societies
Shri Munshi Ram	Deputy Commissioner, Jind
Shri Karta Krishen	Assistant Settlement Commissioner, Rehabilitation
Shri Raja Ram Singh	On leave
Shri Sukhdev Parshad	Deputy Secretary, Revenue
Shri Yogeshwar Sahni	On deputation to the Government of India
Shri Harphul Singh	Deputy Commissioner, Mohindergarh
Shri Surinder Singh Bhalla	Deputy Secretary, Home-II
Shri Balmukand	Deputy Director (Hors), Urban Local Bodies
Shri Sushil Kumar Jain	Deputy Secretary, Secretariat Establishment
Shri G.D. Malik	Deputy Secretary, Finance

Shri Fateh Singh	Director, Consolidation of Holdings
Shri J.R. Dhingra	Deputy Secretary, Finance
Shri H.L. Gugnani	Deputy Secretary, P.W.D.
Shri Murari Singh	Additional Director, Consolidation of Holdings, Gurgaon
Shri P.N. Bhatnagar	Sub-Divisional Officer, Ambala
Shri H.K. Jain	Secretary Designate, Electricity Board
Shri M. Isa Dass	Under-Secretary, Health
Shri Ram Kumar	Secretary, Vigilance Commission
Shri B.L. Mittal	General Manager, Co-Operative Sugar Mills, Rohtak
Shri Kulwant Singh	On leave preparatory to re-employment
Shri Hari Singh Mumtaz	Under-Secretary, Finance
Shri Rajinder Singh	On deputation to Delhi

	Administration
Shri Thakar Dass	Secretary, Public Service Commission
Shri Gian Chand	Assistant Director, Consolidation, Rohtak
Shri Paritam Singh Chaudhary	Sub-Divisional Officer, Jagadhri
Shri M.L. Mongia	Deputy Excise and Taxation Commissioner, Ambala
Shri O.P. Bhardwaj	On deputation to Delhi Development Authority
Shri A.C. Aggarwal	Under-Secretary, Vigilance
Shri K.D. Gupta	On deputation to Delhi Administration
Shri S.L. Puri	Under-Secretary, Industries
Shri Ram Narain Singh	Assistant Director, Consolidation, Mohinderh
Shri S.B. Bagai	On deputation to the government of India
Shri Balbir Singh Lathar	On deputation to Delhi Corporation
Shri G.L. Nagpal	Deputy Director, Town and

	Country Planning
Shri Hargo Lal Saroj	Sub-Divisional Officer, Rohtak
Shri P. R. Nagpal	On deputation to Norther Railways
Shri Bishan Singh	On deputation with Delhi Administration
Shri Rattan Singh	Administrative Officer, Directorate of Agriculture
Shri Adhipak Singh	Under-Secretary, Revenue
Shri V.K. Jain	Under-Secretary, Co- Operation
Shri Ram Parshad	On deputation with Delhi Administration
Shri Sampuran Singh	Estate Officer, Faridabad
Shri Des Raj	Sub-Deivisional Officer, Kaithal
Shri Sat Parkash Mittal	On deputation to Delhi Administation
Shri S.C. Dhosiwal	General Manager, Central Co- operative Consumers Store, Ambala

Shri Inder Singh Rekhi	Under Secretary Agriculture and development
Shri D.P. Gupta	Under-Secretary, Housing and Reorganisatioin
Shri R.S. Thapar	Divisional Agricultural Production Officer, Ambala at Chandigarh
Shri Sukh Lal Dhani	On deputation to Delhi Corporation
Shri Gurcharna Singh Bindra	Settlement Officer, Sales, Rehabilitaion Department, Chandigarh
Shri Shanti Lal Malhotra	On deputation to Delhi Administration
Shri Jawahar lal	Excise and Taxation Officer, Rohtak
Shri N. K. Garg	On deputation to Delhi Administration
Shri Kanwal Nain Bhagat	Ditto
Shri Vishan Dass Bohra	Settliment Officer (Consolidation), Ambla
Shri Randhir Singh Malik	Under-Secretary, Planning
Shri Prabh Dayal Khurana	On deputation to Delhi

	Administration
Shri S.P. Bhatia	Sub-Divisional Officer, Hisar
Shri Lalit Kumar Gupta	Sub-Divisional Officer, Naraingarh
Shri Jiwan Singh Jain	Settlement Officer (C/H), Narnaul
Shri V.K. Chib	On deputation to Delhi Administration
Shri Ranjit Singh Kailey	Sub-Divisional Officer, Sonapat
Shri Raghbir Singh	Excise and Taxation Officer, Karnal
Shri R.D. Garg	On deputation to Judiciary
Shri Jagat Ram	Sub-Divisional Officer, Hansi
Shri Nihal Singh Sandhu	Sub Divisional Officer, Jind
Shri O.P. Taneja	Sub-Divisional Officer, Fatehabad
Shri O.P. Gupta	Sub-Divisionial Officer, Gohana
Shri Joginder Paul Singh Puri	Sub-Divisional Officer, Thanesar

Shri Dharam Vir	Sub-Divisional Officer, Narnaul
Shri Parma Nand	Land Acquisition Officer, Field Firing Range, Naraingarh at Ambala
Shri P.P. Chhabra	General Manager, Central Co-Operative Consumer Store, Hisar
Shri Ram Dev	Sub- Divisional Officer, Nuh
Shri J.S. Chopra	Administrative Officer, D.P.I. Office
Shri Arjan Dass	Sub-Divisional Officer, Gurgaon
Shri Beant Singh	Administrative Officer, Narwana
Shri Charanjit Singh Rana	General Assistant to Deputy Commissioner, Mohindergarh
Shri Birbal	District Development and Pancha;yat Officer, Narnaul
Shri Ram Parkash Sharma	Civil Defence Officer, Ambala
Shri S.N. goyal	On deputation to Judiciry

Shri Ram Singh	General Assistant to Deputy Commissioner, Karnal
Shri P.C. Bali	General Assistant to Deputy Commissioner, Rohtak
Shri Y.P. Raheja	General Assistant to Deputy Commissioner, Gurgaon
Shri Bal Raj Anand	District Development and Panchayat Officer, Ambala
Shri J.S. Dhamija	General Assistant to Deputy Commissioner, Jind
Shri G.R. Gogia	On deputation to Delhi Administration
Shri Virender Singh Chaudhri	Administrator, Gurgaon Municipality
Shri I.D. Swami	Under Training in Indial School of Public Administration, Delhi
Mrs. Kamla Choudhry	General Assistant to Deputy Commissioner, Hisar

Shri Kuldip Singh	District Development and Panchayat Officer, Jind
Shri Jabir Singh	Revenue Assistant (Agrarian), Hisar
Shri Krishan Pal	General Assistant to Deputy Commissioner, Ambala
Shri N.C. Vasisth	District Development and Panchayat Officer Gurgaon
Shri S.N. Puri	Extra Assistant Commissioner (Under Training), Gurgaon
Shri N.K. Tandon	Extra Assistant Commissioner (Under Training), Karnal
Shri Sohan Singh	Extra Assistant Commissioner (Under Training) in Commissioner's Office, Ambala
Shri R.K. Taneja	On deputation to Judiciary
Shri Alak Dhari	Extra Assistant Commissioner (Under Training), Rohtak

Shri Balbir Singh	Extra Commissioner (Under Training), Hisar	Assistnat (Under Training)
Shri Ram Parkash	Administrative P.G.I. Chandigarh	Officer,
Shri J.M. Khungar	Extra Commissioner (Under Training), Rohtak	Assistant (Under Training)
Shri J.P. Rattan	Extra Commissioner (Under Training), Hisar	Assistant (Under Training)
Shri R.S. Aggarwal	Extra Commissioner (Under Training), Jind	Assistant (Under Training)
Shri Zile Singh Khobra	Extra Commissioner (Under Training), Revenue Training School, Chandigarh	Assistant (Under Training)
Shri Jai Kumar Gupta	Ditto	
Shri Sukhbir Singh	Leave ex-India	
Shri Ranjit Singh	Extra Commissioner (Under Training), Revenue Training School, Chandigarh	Assistnat (Under Training)

श्री दया कृष्ण: क्या चीफ मिनिस्टरसाहिब बताने की कृपा करेंगे कि आई० सी० एस० और पी० सी० एस० आफिसर्स की अलग अलग कितनी तादाद हैं और इन में से कितने कितने आफिसर्सज हरियाणा के हैं ।

मुख्य मंत्री : तादाद तो लिस्ट में दी गई है जो टेबल आफ दी हाउस पर रखी गई है । उस लिस्ट में से यह खुद इन की अलग अलग गिनती कर सकते हैं ।

श्री दया कृष्ण: मैंने यह भी अपने सवाल में पूछा था कि इन अफर्सज में से कितने अफसर ऐसे हैं जो हरियाणा के रहने वाले हैं लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया ।

Chief Minister : I am sorry, I cannot say anything about it off-hand. I will, however, find out their places of residence, etc., and leftnehon Member now, if he so desires.

Burning alive of three persons at Panipat, Karnal

***13. (I) Chaudhri Ram lal:**

(II) Shri Fateh Chand Vij: Will Chief Minister be pleased to state

- a) The amount spent by the Government on the case of burning alive of three persons, namely Shri Dewan Chand Takkar, etc. at Panipat which was being tried by the Sessions Court.1 Karnal.

- b) The total amount of fees paid to Rai Bahadur Har Parshad Advocate, Chandigarh in this case; the number of times he visited Karnal and the rate at which he was paid the fees;
- c) The names of the officers of whom the Sessions Judge. Karnal has, while acquitting the accused, fixed responsibility for the failure of the said case and the action if any, taken for proposed to be taken by the Government against the said officers?

Rao Birender Singh: (a) Rs. 32,103,75P.

(b) A sum of Rs. 30,000 has been paid to Rai Bahadur Har Parshad, Advocate, Chandigarh. He visited Karnal 57 times and the rate per visit was Rs. 500.

(c) The Session Judge, Karnal, While acquitting the accused, did not fix responsibility on an yofficer for the failure of the case. The question of taking action against any officer by the Government Haryana, therefore does not arise.

श्री दया कृष्ण: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । यह सवाल जो हैं यह एक ऐसे केस के मुत्तिलक है जो अभी कोर्ट में चल रहा है इसलिए इस पर सप्लीमेंटरीज पूछने की इजाजत नहीं होनी चाहिए ।

श्री मंगल सैन: इस बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस सवाल में केस फ़ैक्टस के मुत्तिलक कुछ नहीं पूछा गया

है। इस में तो केवल इतना ही पूछा गया है कि इस केस के लड़ने पर जो खर्चा किया गया है वह कितना है और इतना क्यों हुआ है ?

श्री दया कृष्ण: डिप्टी स्पीकर साहिब, अगर आप इस सवाल के पार्ट (सी) को पढ़ें तो आप को मालूम होगा कि यह सवाल कोर्ट से ताल्लुक रखता है।

श्री उपाध्यक्ष : यह सवाल एडमिट हो चुका है इस लिए इस का जवाब हाउस में आए ही गा।

श्री फतेह विज : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जैसा कि इस सवाल के जवाब में दिया गया है कि 500 रूपए रोजाना फीस पर एक वकील यहां चण्डीगढ़ से भेजा गया था और इस केस पर कुल 37 हजार रूपए गवर्नमेंट ने खर्च किए हे तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कि करना में सरकारी वकील जिसे प्रासीक्यूटिंग इन्सैक्टर कहते है, मौजूद थे तो इतनी बड़ी रकम पर किसी दूसरे वकील को एंगेज करने की क्या जरूरत थी।

Chief Minister : The former Government was the best judge of the situation. We cannot say anything now about the reasons.

श्री मंगल सेन: क्या मुख्य मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि पिछली गवर्नमेंट के वक्त में जो इतनी भारी रकम देकर राय बहादुर शास्त्री को एंगेज करने के लिए जो

जिम्मेवार होगा उस के खिलाफ इन्क्वायरी करा कर उसे सजा देंगे।

Chief minister : It has been noted. We will look into your suggestion.

श्री श्रीकृष्ण: मैं मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इस सवाल में जो दिया हुआ है कि तीन व्यक्ति जल गए थे या वह जलाए गए थे ?

श्री फतेह चन्द विज: आप कोर्ट के फैसले को पढ़िए तो आप को ठीक पता लग जाएगा कि वह कैसे जले थे।

श्री श्रीकृष्ण : आन ए प्वाएंट आफ आडर सर । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि अगर कोर्ट का यह फैसला था तो इस सवाल को यहां पर लाने की क्या जरूरत थी ?

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई प्वाइंट आफ आडर नहीं है।

श्री श्रीकृष्ण: मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले भी पूछा है कि यह जो तीन आदमी वहां पर मरे थे, क्या वह जल गए थे या जलाए गए थे ?

Mr. Deputy Speaker : Not allotted.

श्री फतेह चन्द विज: क्या चीफ मिनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि सवाल के जवाब में जो उन्होंने बताया है कि फैसले के अन्दर किसी अफसर पर जिम्मेवारी नहीं डाली गई लेकिन मैंने

उस फैसले को खुद पढा है और उस से पता चलता है कि जिम्मेवारी डाली गई है, तो क्या वह उस अफसर के खिलाफ इन्क्वायरी करवा कर ऐक्शन लेने को तैयार हैं ?

मुख्य मंत्री: जरूर करेंगे। अगर किसी अफसर के उपर कोई जिम्मेवारी बनती होगी तो उस पर गौर करेंगे।

Police firing and Lathi Charge at Bhiwani, District Hisar

***16. ShriBhagwan Dev:** Will the Chief Minister be pleased to state-

- a) the number of cases registered against the persons by the City police, Bhiwani, District, Hisar, in connection with the incident of Police firing and Lathi Charge occurred on the 14th March, 1966 at Bhiwani regarding anti Suba Agitation;
- b) the nature of the said cases together with the action, if any taken thereon ?

Rao Birender Singh: (a) Fir No. 44, dated 14th March, 1966 under section 395/307/188/149, IPC Police station City Bhiwani against 59 persons. Who were arrested and later on challaned. The case is pending commitment proceedings in the court of judicial Magistrate, Bhiwani.

(b) Case FIR No. 88/66 was registered under section 304 -A, I.P.C. on 13th May 1966. This case was registered as

a result of a magisterial finding that the police firing was not justified. The case has been sent up as untraced.

श्री भगवान देव : क्या मुख्य मंत्री जी कृप्या बताएंगे कि जिस तरह से इस समय की पंजाब सरकार ने लुधियाना, जालंधर और अमृतसर आदि में जहां एंटी सूबा ऐजीटेशन के औरान गोली बगैरा चली थी और कई लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस रजिस्टर किए हुए थे सह सारे केस उस सरकार ने वापिस ले लिए हैं क्या हरियाणा की सरकार भी ऐसे केसों को वापिस लेने के सवाल पर विचार कर रही है।

मुख्य मंत्री : इसके उपर गौर करेंगे।

चौधरी रिजक राम: यह इन्कवायरी किसने करवाई, क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतलाएंगे ?

मुख्य मंत्री: रोहतक के ऐस0 डी0 एम0 ने।

Chaudhary Rizaq Ram: May I know if the local Police investigated the case after it was registered or some special agency was appointed to invertigate the case ?

Chief Minister : I cannot say it off hand. If the hen. Member is finterested to know this. I will find it out.

Udgrading of Primary and Middly Schools in the State.

***19 Shri Rateh Chand Vij. :** Will the Minister for Education be pleased to state -

a) the number of Primary and Middle School separately, proposed to be upgraded as Middle and High/ Higher Secondary.

b) the criteria laid down for up grading the paid schools ?

Shri Hardari Lal : (a)

1	Primary to Middle	57
2	Middle to High	35
3	Middle to Highe Sec.	Nil

(b)1 Need of the institutions in the area to be determined by enrolment location and its distance from the nearst existing school.

2 Availability of proper accommodation.

3 Availability of land for play-ground, garden and compound.

श्री फतेह चन्द विज : क्या शिक्षा मंत्री महोदय बताएंगे कि यह मिनिस्टरी जाते जाते कुछ स्कूल अपग्रेड कर गई है जो वास्तव में डिजर्व भी नहीं करते थे, तो क्या उस बारे अब कुछ किया जाएगा ?

Education Minister : Well Sir, that unfortunately is a fact. For that reason, the wholethin is in a melting pot and I am looking into that, if anyhow. Members

are in a position to assist in that regard; I shall gladly welcome their suggestions.

Chaudhary Rizaq Ram: Well Sir, is it a fact that the hon. Minister held the charge of this Department in the previous Government as well.

Minister :In the previous Government when Chaudhri Rizaq Ram was also Minister, we held the charge for ten days. But this business had been completed much before I took over as Education Minister.

चौधरी रिजक राम: क्या यह फक्ट नहीं है कि पिछली गवर्नमेट में चौधरी हरद्वारी लाल ही मिनिस्टर थे उन्हें इस का पता होगा, इसलिए जहां तक धांधली का सवाल है वह तो पैदा ही नहीं होता।

Minister: That is exactly what I have said that the whole thing is in a melting pot. I will look into that and will welcome any suggestions from the hon. Members in that regard.

Construction of Bhiwani- Mohan road

***15 Shri Bhagwan Dev:** Will the Minister for Public Works be pleased to state-

- a) the amount proposed to be spent on the sonstrucion of the Bhiwani Mohan Road
- b) the total amount of expenditure incurred so far on the construction of the road referred to in part (a) above.

c) the approximate time by which the construction work on the said road is expected to be completed ?

Shri Phool Chand: Minister of State for Public Works):

(a) There is no road called Bhiwani Mohan Road.

(b) and (c) Do not arise

Water Tanki near Ghanta Ghar at Bhiwant

***17 Shri Bhagwan Dev:** Will the Minister of Public Works be pleased to state-

a) the present stage of the construction work of water Tanki uner taken by the Public Health Department near Ghanta Ghar at Bhiwant district Hisar;

b) whether any time limt for completing the said construction was fixed

c) if the reply to part (b) above be in the affirmative whether the said time limit was extended to; if not the reasons therefore;

d) the total amount of expenditure incurred on the said scheme so far ?

Shri Phool Chand (Minister of State for Public works):

(a) The Reservoir has been completed up to top roof level. The banance work required to be done is (1)

construction of staircase, (2) installation of vertical pipes and (3) testing of the Reservoir.

(b) yes.

(c) No. the time-limit has not yet expire. It expires on 21st April, 1967.

(d) Expenditure incurred on this Reservoir up to end of February 1967 is Rs. 130500.

श्री भगवान देव : कुछ वर्क्स पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट ने 4 महीने के अन्दर अन्दर कंपयलीट करने का वादा किया था, लेकिन वह अभी तक पूरे नहीं हुए, इसका क्या कारण हैं ?

श्री फूल चन्द (राज्य मंत्री) : मैं मालूम करके इतलाह दे दूंगा।

Income to Municipal Committee, Karnal

***27 Chaudhari Ram Lal :** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) the total amount of income accrued to the Municipal Committee, karnal from all sources during the years 1959 to 1966 year wise.

(b) the amount of income accrued to the said Municipal Committee from Octroi, House Tax and Water Tax,

separately during the period referred to in part (a) above year-wise ?

Shri Harpal Singh : (a) The required information is laid on the table of the house as in Annexure "A" .

(b) The information is laid on the table of the House as in Annexure "B"

STATEMENT

ANNEXURE 'A'

**Statement showing income of Municipal Committee Karnal
from all sources for the years 1956 to 1966**

Period	Total income from all sources	Remarks
1 st January 1959 to 31 st March 1959	1,32,929	
1959-60	8,99,729	I includes Government loan of Rs. 1,80,000 for Water-supply and Drainage Schemes
1960-61	7,64,750	
1961-62	8,06,087	
1962-63	8,92,678	It includes a loan of Rs. 5,00,000

		from Life Insurance Corporation Bombay for Water Supply and Drainage Schemes
1963-64	14,60,532	
1964-65	10,42,594	
1965-66	10,13,787	
1 st April 1966 to 31 st Dec. 1966	8,79,246	

STATEMENT

ANNEXURE 'B'

**Statement showing income of Municipal Committee Karnal
from Octroi, House Tax and Water Rate**

Period	Octroi	House Tax	Water Rate
1 st January 1959 to 31 st March 1959	105931	5293	2481
1959-60	523940	67974	18029
1960-61	529924	60864	26150

1961-62	464827	39332	29419
1962-63	561836	89593	38419
1963-64	550938	74476	41360
1964-65	606604	78094	29991
1965-66	622817	78110	35927
1 st April 1966 to 31 st Dec. 1966	506518	122631	39627

Supply fo Foodgrains

***25 Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Health be pleased to state:-

- a) the quantity of wheat oratta being supplied per head at present in the state:
- b) whether the quantity of the said foodgrains supplied per head during he election days was same as it is at present ?

Rao Birender Singh (Chief Minister):

(a)

1	in towns with population above 15,000	4.5 kiligrams per head per month
---	---------------------------------------	----------------------------------

2	In towns with population below 15,000	4 kilograms per head per month
3	In rural areas	3 kilograms per head per month

(b) The quantum of issue of wheat/atta during February, 1967 was as below:-

1	in towns with population above 15,000	5 kilograms per head per month
2	In towns with population below 15,000	4 kilograms per head per month
3	In rural areas	3.5 kilograms per head per month

श्री मंगल सेन : क्या मुख्य मंत्री महोदय बताएंगे कि पुरानी सरकार ने जहां कहीं आटों की सप्लाई बंद कर दी थी और वह इलैक्शन होते ही कर कर दी, इसका क्या कारण है ?

मुख्य मंत्री : वह कारण आनरेबल मेंबर भी जानते हैं ।

श्री मंगल सेन : किसी किसी जगह देहात में तीन किलो पर हैड और बमुकाबले उसके शहरों में 5 किलो आटा दिया

जाता है, इस प्रकार सौतेली मां का जो सलूक हो रहा है, क्या मुख्य मंत्री महोदय इस पर गौर करेंगे।

मुख्य मंत्री : दरअसल यह उनकी पालिसी थी, अब हम देखेंगे कि कहां कितनी जरूरत है।

श्री रामधारी बालमिकी: क्या मुख्य मंत्री महोदय बताएंगे कि जो डिपो दिए गए हैं वह किन लोगों को दिए गए हैं।

मुख्य मंत्री : यह अपने लीडरों से पूछिए।

श्री दल सिंह : अगर कुछ गलतफहमी है कि यह डिपोज कांग्रेसवालों को अलाट किए गए हैं तो क्या नई गवर्नमेंट उन्हें कैंसल करने को तैयार है ?

मुख्य मंत्री : हाँ गलत किस्म के आदमियों को यह डिपोज मिले होंगे, उन्हें कैंसल भी किया जाएगा।

चौधरी रिजक राम : इन्होंने कहा कि आटे की क्वांटिटी कर कर दी और पहले ज्यादा कर दी थी। इस संबंध में मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ। कि अगर कहीं बेजा तौर पर मक या ज्यादा क्वांटिटी की गई है तो क्या वहा एक जैसा करने का प्रयत्न करेंगे ?

मुख्य मंत्री : असल बात यह है कि कम कहीं नहीं की गई वह तो इलैक्शन के दौरान ज्यादा कर दी थी, अब नार्मल सिचुएशन में फिर वैसी की कर दी गई ।

श्री भगवान देव : अभी तक उक परिवार में आठ व्यक्तियों को स्टैंडर्ड मान कर राशन कार्ड इश्यू किया जाता है। अगर किसी परिवार में 20 आदमी हो तो वह किस तरह से गुजारा करें, यह सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। तो मैं यह सजैस्ट करना चाहता हूँ कि अगर किसी परिवार में 20 आदमी हो और उनकी इतला सरकार को दी जाउ तो उनके लिए भी राशन कार्ड का प्रबंध किया जाना चाहिए। क्या मेरे इस सुझाव पर सरकार विचार करेगी।

मुख्य मंत्री : आनरेबल मेंबर के इस सुझाव पर हम गौर करेंगे।

श्री रामधारी बाल्मीकी : मुख्य मंत्री साहब ने अभी बताया है कि इलैक्शंज केदौरान में आटा बढ़ा दिया गया था। मैंपूछना चाहता हूँ कि क्या उस समय चौधरी चांद राम और राव साहब के हलकों में भी राशन बढ़ाया गया था ?

मुख्य मंत्री मेरे और मेरी बहन के हलको में तो आटा और गेहूं पहुंचने ही नहीं दिया गया था।

Energizing of Tubewells in Panipat

18 *Shri Fateh Chand vij : Will the Minister for irrigaton and Power be pleased to state-

- a) the number of applications for the grant for electric connections for the tubewells lying pending in the office of the Xen Electricity, Panipat as on 26th February , 1967.
- b) the number of applications out of those mentioned in part (a) above in respect of which test reports had been received and security amounts deposited;
- c) the number of applications out of those mentioned in part (a) above the test reports in respect of which were received up to the 31st October, 1966 and which are still pending for the grant of the said electric connections :
- d) the date by which the said connections are likely to be granted to the said applicants ?

Major Amir Singh (minister of State for Food and Rural Electrification)

(a) 1.611.

(b) 23.7

(c) 112

(d) These 112 connections are likely to be given within six months.

श्री फतेह चन्द विज: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि 31 मार्च, 1966 तक के जो 112 केसिज है जिकी टेस्ट रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है उन को कब तक कनेक्शन मिल जाएंगे और उनक

बाद की जा 1500 और एप्लीकेशंज पेंडिंग हैं उन को कितने अरसा तक कनैक्शंज मिल जाएंगे ?

राज्य मंत्री : सरकार पूरी तबज्जो दे रही है और जब हम पूरी तरह इस मामले पर काबू पा लेंगे तो कनैक्शंज जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे ।

श्रीमति लेखवती जैन : लोगों ने दो दो सा से टयूब वेल कनैक्शंज के लिए सिक्योरिटी जमा करवा रखी है, उस का उनको न सूद मिलता है और न वह पैसे रिफंड किए जाते है । सरकार उन को क्यों नहीं जल्दी कनैक्शंज देती ?

मंत्री : यह जो आप ने शिकायत की है इस की सारी रिस्पांसिबिलिटी पिछली सरकार की है । हम अब केसिज को जल्दी डिस्पोज आफ करवाएंगे ।

चौधरी रिजक राम : अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि वह पिछी सरकार की जिम्मेवारी थी । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार एशोरेंस दे सकती है कि जो पेंडिंग केसिज हैं उन को कब तक कनैक्शंज मिल जाएंगे ?

मंत्री : यह सरकार ऐसी सब बातों की तरफ ध्यान देगी ओर जल्दी से जल्दी कनैक्शन दिलवाने की कोशिश करेंगे ।

राव जसवंत सिंह : क्या वजीर साहब बताएंगे कि रेवाडी तहसील में जो नहर खुदी हुई है उस में अभी तक पानी न देने की क्या वजह है ?

मंत्री : यह चीज इस सवाल में नहीं आती इसके लिए आप सैपरेट नोटिस दें ।

Water for irrigation purpose to tehsil Rewari, district Gurgaon.

***32 Rao Jaswant Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the steps, if any, taken or are proposed to be taken to provide water for the purpose of irrigation to Rewari area in district Gurgaon ?

Shri Mani Ram Godara : During the Third Plan period, 18 Tubewells were installed to provide irrigation facilities to Rewari area in district Gurgaon. The following tanks and bunds have also been completed.

- (1) Dahina Bund
- (2) Khol No. 1 Bund.
- (3) Khol No. 2 Bund
- (4) Jarthal Bund.
- (5) Kundal Bund.

- 1 The schemes for charging brakish water from Sahibi Nadi is in iperation.
- 2 Rewari Lift Scheme to cover 32,581 C.C.Z. of Rewari Tehsil spread over 36 vilages is under construction.
- 3 The following bunds are planned to be constructed besides the existing besin irrigation works:-

(1)Manhrti bund

(2)Kund Bund

Chaudhri Rizak Ram: Will the Minister kindly inform the House which are those schemes and what is the stage of progress of works on them ?

मंत्री: आ सैपरेट कनैक्शन करे तो जवाब देगे ।

**Increase of agricultural production in tehsil Rewari,
district Gurgaon**

***33 Rao Jaswant Singh :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the details of the facilities provided or proposed to be provided by Government to increase agricultural production in Rewari area in district Gurgaon ?

Shri Chand Ram: A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

The following facilities for increasing agricultural production in Rewari area of Gurgaon District have been provided :-

(1) (I) Adequate loans are proposed to be advanced for minor irrigation and soil conservation works especially in water management.

(II) For land levelling facility of bull dozer will be given on hire basis.

(III) Rotary mechanical rig will be made available to the cultivators for the first time Haryana for adopting quick boring system

(IV) Boring by blasting in rocky underground strata will also be done

(2) 50 per cent subsidy on insecticides and pesticides will be given to the farmers for plant protection measures.

(3) Additional staff has been provided to educate the farmers and demonstrate to them the advantages of adopting improved agricultural practices in Gurgaon District selected for high Yielding Varieties Programme. In addition intensification work will be done on oilseeds which are important crops of this tehsil.

Agriculture University at Hisar

***39 Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state wheter it is a fact that the Agriculture University located at hisar is being raised to a full fledged university; if so, whether the Government is taking any steps to get it is due share of assests, etc. from the Agriculture University, Ludhiana, and the time by which the said work is likely to be completed ?

Shri chand Ram : (1) Not yet.

(II) Does not arise.

श्री मंगल सेन : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या कोई डेपुटेशन या रिप्रेजेंटेशन या कोई लैटर उन्हें या उनके डिपार्टमेंट को मिला है जिस में यह मांग की गई हो कि हिसार में जो हमारा कालेज है उसे फुलफलेज्ड एग्रीकल्चनल यनिवर्सिटी बना दिया जाए ?

मंत्री : हां मांग भी मिली है और मेरी भी यह पर्सनल ओपीनियन रही है कि हरियाणा को सेपरेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम होनी चाहिए। इसके बारे में पिछली मिनिस्टरी में सारे कागजात भूतपूर्व मुख्य मंत्री को भेज दिए थे। यह मामला उसा है जिस पर कैबिनेट में गौर करना है कि आया अलहदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम करनी है क्योंकि मैं सह बात हाउस को बताना चाहता हूं कि यह यूनिवर्सिटी चार सेपरेट यूनिट्स के

बीच क कामलिक हैं और फोर्ड फाउंडेशन ने इस पर काफी रूप्या लगाया है। इसके खर्चके बारे में कामन लिंक के बारे में गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने लिखा है कि इस तरह से यूनिटस खर्च करेंगे। इसके पेशेजर सारी बात चीत गवर्नमेंट आफ इंडिया संचल रही है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया इस बारे में ज्यादा विचार इस बात पर है कि अलहदा यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। कैबिनेट में मामला आएगा और जब फैसला हो जाएगा तो सामने आ जाएगा।

Mr. Deputy Speaker : Question hour is over.

चौधरी रिजक राम : डिप्टी स्पीकर साहिब, आप के नोटिस में लाया गया था लिस्ट आफ बिजनैस केबारे में और आप ने भी फरमा दिया लेकिन मैं उक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें पता लगना चाहिए कि कब तक हाउस का प्रोग्राम है, क्या क्या बिजनैस है और क्या क्या बातें हाउस के सामने आनी है ताकि हम उस के मुताबिक सारा प्रोग्राम बना सकें। अगर बिजनैस एडवायजरी कमेटी अभी नहीं बनाना चाहते हैं तो कम से कम दोनों तरफ के मेम्बरान को बुला कर डिसकस कर लें और प्रोग्राम सैटसल कर लें ताकि मेम्बरान को पता चल जाए कि कब तक हाउस चलना है, क्या क्या सब्जेक्टस डिसकस होने है और क्या प्रोग्राम है।

श्री उपाध्यक्ष : कमेटी भी जल्दी बना दी जाएगी।

चौधरी रिजक राम : अगर आप मुनासिब समझे तो इसके बाद आप बात कर लें और गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंडीकेशन आ जाए कि कब तक और किस तरह हाउस चलना है।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस एडर्जन के बाद बात कर लेंगे।

Shri Nihal Singh : On a point of order, Sir. A stranger is sitting in the House. Yesterday I read in the newspapers that Chaudhri Hardwari Lal has resigned from the House.

Mr. Deputy Speaker : He continues to be a Minister.

Shri Nihal Singh : But you; have not announce his resignation in the house.

Mr. Deputy Speaker : It will be done.

आवाजें : कब तक हो जाएगा यह तो बता दें। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष: इस के लिए टाईम लिमिट नहीं है। जल्दी अनाउंस हो जाएगा। (शोर)

Chaudhari Rizaq Ram : The hon' Member has resigned from the House and as soon as the Speaker has received intimation from the Member about his resignation he has to inform the House about it the very next day.

Mr. Deputy Speaker : There is no such provision that it is to be announced the very next day.

Chaudhari Rizaq Ram: Rule 58 reads:-

“As soon as may be the Speaker shall, after he has received intimation in writing from a member under his hand resigning his seat in the Assembly inform the House that such and such a member has resigned his seat in the Assembly;

Provided that when the Assembly is not in session, the Speaker shall, inform the House immediately after the House re-assembles that such and such a member has resigned his seat in the Assembly during the inter-session period.”

Therefore “as soon as” does not mean that it is to be announced after a month. It means that it may be announced the next day when the Assembly is in session. Of course when the Assembly is not in session, it is to be informed when it re-assembles.

Mr. Deputy Speaker: I understand the rule.

Ch. Debi Singh: Sir, I would like to know whether the Hon'ble Education Minister has already forwarded his resignation to the Chair and whether it has been received by him.

Mr. Deputy Speaker: Yes, it has been received in the office.

Smt. Om Prabha Jain: Has it been accepted, Sir?

श्री उपाध्यक्ष: एक्सैप्टेस वाला प्रोवीजन भी तो देख लें।

Ch. Debi Singh: If the letter of resignation of the hon. Member has been received, it is deemed to be accepted and resignation announced in the House the very next day.

Mr. Deputy Speaker: I will look into it.

Sh. Nihal Singh: It is not your discretion whether to accept or not to accept it. As soon as it reaches you it is deemed and presumed that it has been accepted and you have to announce it in the House.

Mr. Deputy Speaker: The resignation has been received in the office and I will look into it.

Ch. Debi Singh: I would like to know whether you have any discretion in the matter whether to accept the resignation or not. Secondly, if you have nay discretion, how long will you take to go into it. Is it a long letter to scan it.....

Mr. Deputy Speaker: The Chair need not be cross-examined.

Sh. Nihal Singh: Has Ch. Hardwari Lal requested that it should be accepted after two days?

Mr. Deputy Speaker: No further questions please.

श्री रामधारी वालमीकि: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। जब एजुकेश्ज़न मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया और आपके पास भेज दिया तो आप इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं और

उसे एकसैफ्ट क्यो नही कर रहे हैं। हाउस में अनाउस क्यो नही कर रहे हैं?

Development Minister: He should not cast any assertions on the Chair. We resent it. If he does not know manners he should go out. His reflection on the Chair is very objectionable (Interruptions)

Ch. Debi Singh: On a point of order, Sir. The hon. Minister seems to be very excited. I do not know whether any objectionable word has been said (Interruptions)

Mr. Deputy Speaker: This is no point of order.

Development Minister: The word 'Zabardasti' is un-parliamentary and he should withdraw it.

शिक्षामंत्री: मेरी समझ में नहीं आयाकि इतनी फिकर क्यो लगी हुई है जब मैंने इस्तीफा भेज दिया मेरी दरखास्त है कि फौरन आप उसे मन्जूर करें। (प्रशंसा) अभी जो फिकर होना चाहिए वह इस बात का होना चाहिए कि क्या कोई उम्मीदवार भी खड़ा करने के लिए है (हंसी) कोई उम्मीदवार तैयार करो (शोर)

श्री दल सिंह: चौधरी साहिब अगर इतना फराख दिल्ली दिखा रहे हैं तो वजारत से क्यो चिपके हुए हैं उससे भी इस्तीफा दे दो। (शोर)

Mr. Deputy Speaker: No discussion please.

चौ. रिजक राम: उमीदवार के मुताल्लिक तो कोई फिकर नहीं। इलैक्शन टाईम तक तो शायद आप हो कांग्रेस उम्मीदवार बनना पसंद करें। (हंसी)

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Co-operative Consumers Stores in the State.

Rao Jaswant Singh: Will the Minister of State for Co-operation be pleased to state:

(a) the total number of Co-operation Consumers Stores at present functioning in the State;

(b) whether any arrangements have been made by the Government to make available to the said stores goods directly either from the manufacturers or from their selling agents; if so, the details thereof?

Sh. Multan Singh: (a) There are eight Consumer Co-operative Stores with 87 Branches in the Haryana State.

(b) First Para – Yes.

Second Para. – The details are as per statement attached.

STATEMENT

Sr.	Name of article/ goods	Manufacturers/ Selling agents	Terms of supply etc.	Remarks
1	Cloth	The Textile Industry has been persuaded by the Government of India to reserve 10 per cent of their cross-section of their total production for supply to the Co-operative Consumers Stores in the country at ex-mill rates plus excise duty as applicable at the time of supply		
2	Kerosene Oil	Indian Oil Company Ltd.	Wholesale Ex-depot rates	
3	Dalda	M/s Hindustan Liver Ltd.	14 paise per kilo including retailers profits.	
4	Shakti Desi Ghee	M/s Dyer Meakin Breweries Ltd.	At 5 per cent discount on Price list.	
5	Amul (Baby Food)	(i) M/s Kaira Coop. Milk Union Ltd. Through M/s. Voltas Ltd.	Their rates are nt. 20 per cent of the total allocation for	

			Haryana State has been reserved for Co-operative Consumers Stores	
6	Cocoa maltine Food	M/s Dyer Meakin Breweries Ltd.	At 5 per cent discount	
7	Canned Fruits, Vegetables, Vinegars and Ketchyps	M/s Dyer Meakin Breweries Ltd.	At 5 per cent discount	
8	Mohan Corn Flakes Wheat Flakes, Pearly, Barley	M/s Dyer Meakin Breweries Ltd.	At 5 per cent discount	
9	Salt	M/s Sambhar Salt Ltd., Jaipur (Rajasthan)	25 per cent commission on fixed Trade Prices	
10	Tooth	M/s Beecham	3 per cent	

	pastes (Maclean, Bryl cream)	(India) Private Ltd.	Trade discount	
11	Cosmetics	M/s Atlantic (East) Ltd., Calcutta	At First Point distribution price. Freight free despatch	
12	Polishes	M/s Atlantic (East) Ltd., Calcutta	At First Point distribution price. Freight free despatch	
13	Ultramarine Blue	M/s Atlantic (East) Ltd., Calcutta	At First Point distribution price. Freight free despatch	
14	Barleys	M/s Atlantic (East) Ltd., Calcutta	At First Point distribution price. Freight free despatch	
15	Ovaltine	M/s Jagjit Singh Distilling and Allied Industries Ltd.	At first point distribution price	
16	Soda Ash	(i) M/s New Central Jute Mills	Wholesale Price	

		Co. Ltd., Calcutta		
		(ii) M/s Saurashtra Chemicals Ltd., Gwalior		
17	Soaps and Toiletries	(i) M/s Calcutta Chemicals co. Ltd., Calcutta	Wholesale price plus 2 per cent special rebate for Consumers Stores	
		(ii) M/s Hindustan Liver Ltd.	Wholesale price plus 2 per cent special rebate for Consumers Stores	
		(iii) M/s Patanwala (P) Ltd., Bombay	Wholesale price plus 2 per cent special rebate for Consumers Stores	
		(iv) M/s Geofrey Manner Ltd.	Wholesale price plus 2	

			per cent special rebate for Consumers Stores	
		(v) M/s Colgate Palmolive	Wholesale price plus 2 per cent special rebate for Consumers Stores	
		(vi) M/s Tunga Bhadra Industries Ltd., Kurnool	Wholesale price plus 2 per cent special rebate for Consumers Stores	
18	Pexcils	(i) M/s Lion Pencils (P) Ltd., Bombay	Wholesale price plus 10 per cent trade discount	
		(ii) M/s Standard Pencil Factory, Madras		
		(iii) M/s Bombay		

		Pucil Pvt. Ltd.		
19	Polythenes /Dyothene bags	(i) M/s Metal Box Company of India Ltd.	Wholesales Prices	
20	Razor Blades	(i) M/s H.L. Malhotra (P) Ltd. Calcutta	5 per cent commission on price list	
		(ii) M/s Indo Swiss (P) Ltd. Hyderabad		
		(iii) M/s National Razor Blades (P) Ltd., Calcutta		
		(iv) M/s Hind Razor and Blades (P) Ltd., Bombay		
		(v) M/s Vidyut Metallic, Bombay		
		(vi) M/s Sharp Edge Ltd., Delhi		
21	Hurrican Lanterns	(i) M/s Dumraon Industries Private Ltd., Durmaon, Bihar	5 per cent discount on business	
		(ii) M/s Ghaziabad General Industries	25 per cent Trade	

		(P) Ltd., Gaziabad (U.P)	discount	
22	Lamps, Stroves and Mentals	(i) M/s Cazzle products Ltd., Calcutta	At 1 st point distribution price	
23	Domestic Electrical appliances	The Commissioner, Civil Supplies, Government of India has addressed to all manufacturers in the Country to make supplies to Co-operative Consumers Stores at First Point Distribution Price.		
	Electric Lamps and Bulbs	(i) M/s. Associated Electrical Industries Ltd., Calcutta	20 per cent discount on price list, plus 2½ per cent quantity discount in addition	
		(ii) M/s Bajaj Electrical Ltd.		

		(iii) M/s Phillips India Ltd., Bombay		
24	Dry Cell Battaries and Torches	(i) M/s Estrela Battaries Ltd., Bombay	2 to 3 discount	
		(ii) M/s Union Carbide India, Ltd.		
25	Cycle Tyres and Tubes	(i) M/s Imperial Tyre Co., Ltd.	At 15 per cent margin of Billing Price	
		(ii) M/s. Good Year India Ltd., Calcutta		
		(iii) M/s Cosmos India Rubber Works Ltd., Bombay		

Break-down of electric supply in Rewari Area

5. Rao Jaswant Singh: Will he minister for Irrigation and Power be pleased to state whether he is aware of the fact that there are frequent break-downs in and low voltage of electric supply to Rewari area in district Gurgaon, if so, the steps taken by Government to ensure uninterrupted supply at normal voltage to this area ?

Sh. Mani Ram Godara: There were interruptions in electric supply to Rewari area in District Gurgaon because Gurgaon Sub-Station was under augmentation from 33 kV to 66 kV. This augmentation necessitated some shut-downs. The augmentation and testing work was completed on 25th October, 1966 and since then the interruptions have been considerably reduced. With this augmentation, the voltage in the area has also improved.

At present, Rewari is a 33 kV Substation fed from Gurgaon 66kV Substation. Under the Bhakra Right Bank Project, it is proposed to erect a 66 kV. Line from Gurgaon to Rewari and create a 66 kV Sub-station at Rewari. With the completion of these works, voltage and supply conditions at Rewari are expected to improve still further.

The Punjab State Aid to Industries Act. 1935 and the Rules framed thereunder.

6. Rao Jaswant Singh: Will the Chief Minister be pleased to state whether he is aware of the fact that the copies of the Punjab State Aid to Industries Act, 1935, and of the Rules framed thereunder are not available to the prospective industrialists, either from the Controller of Printing and Stationery, Chandigarh or from any other source; if so, what other arrangements have been made by Government to apprise the Prospective industrialists in the State, the details of the aid they can seek from the Government under the said Act ?

Rao Birender Singh: The State Aid to Industries Act is a priced publication which is sold by the Controller of Printing and Stationery Haryana. No complaint has come to

the notice of the Department regarding its non-availability. The position, however, is being ascertained from the Controller. The District Industries Officers impart information regarding the procedure for grant of loans under the said Act and copies of the Act and Rules are available with them for consultation.

CALL ATTENTION NOTICES

Serial No. 3

श्री उपाध्यक्ष: काल अटैन्शन नोटिस न. 3 डाक्टर मंगल सेन की तरफ से आया है। But the matter is subjudice, hence it is disallowed.

Serial No. 2*

राजस्व मंत्री (श्री चांद राम): उपाध्यक्ष महोदय काल अटैन्शन नोटिस नम्बर दो का जवाब अगर आप कहें तो पढ़ दूँ।

श्री उपाध्यक्ष: नं. 2 तो हो चुकी है। अगर आप स्टेटमेंट देना चाहे तो दे सकते हैं।

राजस्व मंत्री: स्टेटमेंट क्योंकि लम्बी है इसलिए अगर हुक्म हो तो टेबल पर रख दूँ।

श्री उपाध्यक्ष: हां, टेबल पर रख दें।

Statement

Instructions were issued to the Deputy Commissioners in the State that they should submit weekly

reports about the drought or scarcity conditions in their districts. The latest report from the Deputy Commissioner, Hisar, for the fortnight ending 17th March, 1967 shows the failure of rabi crops is causing anxiety to the people and drought conditions are reappearing in Bhiwani Tehsil. However, due to supply of foodgrains etc. to the people through the Fair Price Shops the situation is under control. There is no scarcity of fodder. The Deputy Commissioner, Hisar has not yet asked for any relief in the scarcity affected areas of Hisar or In Bhiwani Tehsil.

2. Administrative approval to the estimates amounting to Rs. 2,21,424 for the execution of work in connection with construction of Kunds in 24 Vill.s of Bhiwani Tehsil was conveyed to the Deputy Commissioner, Hisar on 16th February, 1967. He has reported that the work has been taken up and is in progress.

* Call Attention Notice No. 2 was admitted by the Chair on 27th March, 1967.

3. So far as the recovery of land revenue etc. is concerned clear instructions have been issued to Deputy Commissioners that they should must deal with the subject sympathetically and on no account use any coercion. They have further been asked to give spcial consideration to small land owners and to drought affected areas. It may also be mentioned tht the total land revenue etc. demand for the State is about Rs. 1,28,00,000 where the arrears in the State are about Rs. 41½ crores. This shows that Government dues have not been recovered for years. Delays only create diffculties in effecting recoveries. Furtther more in many cases

unscrupulous persons have obtained fertilizer and Taccavi Loans etc. without owning any land. There has thus been misus of these loans and facilities, offered by Government. In such cases it is only natural that Government can however, assure the House that every possible consideration will be shown to deserving areas and needy persons. Government will even postpone the recovery if it feels it is necessary to do so.

The channels stated the Call Attention Notice are fed from Hansi Branch of West Jumna Canal Main Branch taking off from River Jumna. Since the supplies in River Jumna during Kharif sowing 1966 and rabi 1966-67 have been inadequate to meet the full supply demand of 9100 cs the Hansi Branch (Full Supply discharge 4050cs) is not only run in rotation alternatively with Delhi Group of channels (Full Supply discharge 4,500 cs) buit its off taking channels also follow a regular approval rotational schedule. Although full supply discharge became available during Monsoon period of 1966 a very meagre supply of 1442 cx was available for Kharif sowings. During rabi period 1966-67 the discharge had steadily fallen from a maximum of 4745 cs to a minimum of 1548 cs.

5. Since the average discharge in the W.J.C. Main Branch was about 25 per cent of the nomal demand for Rabi rotational programme of each channel is 7 days the repeat turn would come after a period of about 32 days. From October to January there was little improvement in the discharge in the Main Branch and as such channels have been running on 2 days rotational turn. Subsequently the discharge receded and supply turn had to be enhanced to 42 days,

rotatin. With the expected increase in the discharge of River Jumna 8 days additional programme will be resumed. The Bapaura gujrani and Dang Minors of Sunder Sub-branch and Bhiwani distributory ran normally according to the rotational schedule mentioned above. In brief the reasons for short supplies in the channel was in sufficient availability of water in the River Jumna.

6. As far as the remission of Abiana for Kharif crops this has already been accounted in the assessment. The remission for the current rabi crops is being given according to the conditions of the crops as per rules.

Serial No. 4

Mr. Deputy Speaker: Call attention notice No. 4 is from Sh. Bhagwan Dev Prabhakar. It is admitted and the Minister concerned may please make a statement.

Sh. Bhagwan Dev Prabhakar: I wish read it, Sir I.

Mr. Deputy Speaker: Yes, You read it.

श्री भगववान देव प्रभाकर: मैं हरियाणा सरकार का ध्यान भिवानी के दोनों मिली के लगभग 9 हतार मजदूरों की चिकित्सा सुविधार्थ ई.एस.आई. योजना के अन्तर्गत चलने वाली डिस्पेंसरी में भारी अनियमिताएं और धांधलीयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। डिस्पेंसरी में स्टाफ का सवर्था अभाव है तगि औषधियां उपलब्ध नहीं हैं। सरकारने औषधियां देने के लिए इसी योजना के अन्तर्गत एक स्पेशल केमिस्ट की नियुक्ति कर रखी थी।

उसने भी पिछले नौ साल से औषधियां देनी छोड़ दी हैं, जिससे हजारों मजदूर अनेक प्रकार की भयानक बीमारियों से ग्रस्त एवं जर्जरित मृत्यु के कगार पर पहुंच कर दर दर की ठोकें खाते फिर रहे हैं।

स्मरण रहे कि इस योजना के अर्न्तगत हर श्रमिक के अढ़ाई से पांच रूपये प्रति मास वेतन में से कटते हैं। इस प्रकार लाखों रूपयों की राशि मजदूरों को चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार के पास जमा है। परन्तु खेद और दुर्भाग्य का विषय है कि मजदूर इस योजना के लाभों से वंचित हैं।

अतः हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि भिवानी के मिलों के मजदूरों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिस्पैसरी में सुयोग्य एवं पूरा स्टाफ, पूर्ण औषधियां सप्लाई करने व नए केमिस्ट की नियुक्ति करने के लिए अविलम्ब पग उठाए जाएं।

Sh. Harpal Singh (Local Government Minister):
There are 5,660 insured workers at Bhiwani. Due to non-availability of suitable building at Bhiwani, the two dispensaries are accommodated in one building.

Against the sanctioned strength of 6 Medical Officers, 2 Staff Nurses, 2 Lady Health Visitors, 4 Auxiliary Nurse Midwives, 9 Dispensers, 2 Laboratory Assistans, 4 Clerks and 13 Class IV Government Servants; 4 Medical Officers, 1 Staff Nurse, 2 lady Health Visitors, 3 Auxiliary

Nurse Midwives, 2 Dispensers, 1 laboratory Assistant, 4 Clerks and 12 Class IV Government Servants are actually in position. Due to general paucity of doctors and trained medical personnel in the State as a whole, normally all the dispensaries in the State are working with 50 per cent strength. Keeping this yard-stick in view and the staff position in other dispensaries the strength in E.S.I. Dispensary, Bhiwani. compare very favourably.

So far as the supply of medicines to labourers is concerned, these are being regularly supplied as the when required by the Medical Officer, of Bhiwani Dispensary both from Chandigarh and from the Medical Store Depot at Karnal annually. There are no complaints in this behalf from workers.

The Annual Indent has already been sent to the Medical Store Depot, Karnal with in the stipulated period and the medicines have already been supplied. Besides, an additional sum of Rs. 8,200 was placed at the disposal of Medical Officer Incharge for purchasing medicines etc. from the Rate Contracting Firms during the month of January, 1967. He has already obtained the supply of medicines. There is, therefore, no shortage of medicines in the E.S.I. Dispensary at Bhiwani. In addition to this, special and costly medicines are supplied regularly from Chandigarh.

Serial No. 5

Mr. Deputy Speaker: There is a call Attention Notice No. 5 by Sh. Randhir Singh. It is admitted. The Minister concerned may please make a statement about it.

Sh. Randhir Singh: I would like to read my Notice.

Mr. Deputy Speaker: Yes, you may.

Sh. Randhir Singh: I beg to draw the attention of the Government to the deplorable conditions of peasants in Panipat Tehsil owing to continued drought and recent hailstorms which had caused heavy loss the the Rabi crops of wheat, gram and onion. Will the Government tell the House the measures it proposes to take to compensate the loss caused by hailstorms in the Vill.s, Nangal Kheri, Machhrauli, Karhans, Jhattipur, Sewaha, Diwana, Khalil Garhi, Passina and others. The crops in the Vill.s have been dashed to the ground by hailstorms and the peasants are not in a position to pay the land revenue. In the vicinity of Tehsil Panipat many a Vill.s have been affected by hailstorms. So due to the present adverse circumstances the poor peasants be exempted from paying land revenue and the Government should clarify its position in this regard.

Revenue Minister: I shall make a statement about it tomorrow.

Serial Nos. *6 and 7

श्री उपाध्यक्ष: काल अटैन्शन नोटिस न. 6 और 7 क्रमशः भी देवी सिंह और श्री भगवान देव प्रभाकर की तरफ से जो आए हैं, इनका मसोदा एक सा ही है इसलिए यह आदणीय एजूकेशन मिनिस्टर जवाब ही दे दे तो ठीक रहेगा।

श्री भगवान देव प्रभाकर: जनबा, मैं अपनी मोशन की सेन्स को स्पष्ट करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्षा: अच्छी बात, आप पढ़ लीजिए।

श्री भगवान देव प्रभाकर: मैं हरियाणा सरकार का ध्यान कालेज प्राध्यापकों की शिकायतों व यू.जी.सी. ग्रेडज के क्रियान्वयन में अनुपयुक्त विलम्ब की ओर दिलाना चाहता हूँ। यद्यपि भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा ने कई बार घोषित किया था कि सरकार ने सिद्धान्ततः उपयुक्त ग्रेडज को स्वीकार कर लिया है, फिर भी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कोई ठोस पग नहीं उठाया। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय था कि कालेज प्राध्यापकों को अपनी मांगें मनवाने के लिए हड़ताल का सहारा लेना पड़ा। अब मुझे पता लगा है कि उन्होंने होने वाली यूनिवर्सिटी परीक्षाओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, जिससे न केवल विद्यार्थियों पर प्रत्युत उनके अभिभावकों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। यहां यह कहना भी प्रासंगिक कि समर्ग खर्च का 80 प्रतिशत भाग केन्द्रित सरकार से ग्रांट के रूप में आता है जिससे राज्य सरकार को अधिक भार नहीं सहन करना पड़ेगा।

अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि कालेज प्राध्यापकों की शिकायतों दूर करने व यू.जी.सी. ग्रेडज को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिए अविलम्ब प्रभावी पग उड़ाए जाएं।

Education Minister (Sh. Hardwari Lal): I may inform the House that we are fully seized of the whole problem. In fact, we are in full sympathy with the demands of the teachers. I may assure the House that we will tackle the problem almost immediately. I have talked to the teachers and

they seem to be satisfied. I have given them a general assurance and I hope the proposed strike will be withdrawn.

Voices: They have withdrawn.

*Sh. Debi Singh Tewatia: The Punjab, Haryana and H.P. College teachers Union has served a notice on the University to boycott the University examinations commencing from 1st April, 1967, because the Government has not accepted their demand to implement the revised U.G.C. grades.

The Punjab Education Minister on 27th while replying to a Call Attention Motion in the Punjab Vidhan Sabha confirmed the acceptance of the teachers, said demand.

The Education Minister may kindly let this House know about the policy of the Haryana Government with regard to this matter which is of utmost importance and urgency.

MOTION UNDER RULE 30

Minister for Parliamentary Affairs (Sh. Hardwari Lal) : Sir, I beg to move –

That Rule 30 of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 30th March, 1967.

Mr. Deputy Speaker: Motion move –

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended

and government business be transacted on Thursday, the 30th March, 1967.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on the Thursday, the 30th March, 1967.

The motion was carried.

DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT FOR APRIL TO JUNE, 1967.

DISCUSSION AND VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT

Mr. Deputy Speaker: I would suggest that the House may take up all the Demands for Grants on Account, together. The hon. Members may refer to the Demands at the time when they are speaking. All the Demands for grants on Account will be deemed to have been read and moved.

As was agreed to in the House while discussing the Demands for grants for 1966-67, the House may discuss all the Demands for Grants on Account today briefly and pass them.

Voices: Yes, Yes.

Demand No. 1

That a sum not exceeding Rs. 19,63,980 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 9-Land Revenue.

Demand No. 2

That a sum not exceeding Rs. 1,53,800 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 10-State Excise Duties.

Demand No. 3

That a sum not exceeding Rs. 69,900 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 11-Taxes on Vehicles.

Demand No. 4

That a sum not exceeding Rs. 4,30,700 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 12-Sales Tax.

Demand No. 5

That a sum not exceeding Rs. 3,66,750 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 13-Other Taxes and Duties.

Demand No. 6

That a sum not exceeding Rs. 84,000 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 14-Stamps.

Demand No. 7

That a sum not exceeding Rs. 8,000 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 15-Registration Fees.

Demand No. 8

That a sum not exceeding Rs. 4,65,690 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 18-Parliament State and Union Territory Legislatures.

Demand No. 9

That a sum not exceeding Rs. 48,85,050 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the

1st April to the 30th June, 1967) in respect of 19-General Administration.

Demand No. 10

That a sum not exceeding Rs. 7,71,000 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 21-Administration of Justice.

Demand No. 11

That a sum not exceeding Rs. 9,11,800 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 22-Jails.

Demand No. 12

That a sum not exceeding Rs. 1,02,59,700 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 23-Police.

Demand No. 13

That a sum not exceeding Rs. 54,180 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 25-Supplies and Disposals.

Demand No. 14

That a sum not exceeding Rs. 5,00,830 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 26-Miscellaneous Departments.

Demand No. 15

That a sum not exceeding Rs. 11,130 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 27-Scientific Departments.

Demand No. 16

That a sum not exceeding Rs. 2,55,95,310 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 28-Education.

Demand No. 17

That a sum not exceeding Rs. 56,03,500 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 29-Medical.

Demand No. 18

That a sum not exceeding Rs. 58,18,400 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the

1st April to the 30th June, 1967) in respect of 30-Public Health.

Demand No. 19

That a sum not exceeding Rs. 74,05,420 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 31-Agriculture.

Demand No. 20

That a sum not exceeding Rs. 21,91,900 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 33-Animal Husbandry.

Demand No. 21

That a sum not exceeding Rs. 10,00,000 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 34-Co-operation.

Demand No. 22

That a sum not exceeding Rs. 19,83,020 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 35-Industries.

Demand No. 23

That a sum not exceeding Rs. 37,95,000 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 37-Community Development Projects, N.E.S. and Local Development Works.

Demand No. 24

That a sum not exceeding Rs. 25,00,000 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 38-labour and Employment.

Demand No. 25

That a sum not exceeding Rs. 6,80,540 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 39-Miscellaneous, Social and Developmental Organisations.

Demand No. 26

That a sum not exceeding Rs. 99,01,870 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 42-Multi-purpose River Schemes.

Demand No. 27

That a sum not exceeding Rs. 64,30,000 be granted to the Governor on account to defray the charges that will

come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 43-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial) 44-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).

Demand No. 28

That a sum not exceeding Rs. 27,50,000 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of charges on Irrigation Establishment.

Demand No. 29

That a sum not exceeding Rs. 35,91,000 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 50-Public Works.

Demand No. 30

That a sum not exceeding Rs. 14,40,740 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of Charges on Buildings and Roads Establishment.

The motions were carried

Demand No. 32

Mr. Deputy Speaker:- Question is -

That a sum not exceeding Rs. 77,63,700 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 57-Road and Water Transport Schemes.

The motions were carried

Demand No. 34

Mr. Deputy Speaker:- Question is -

That a sum not exceeding Rs. 10,00,000 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 64-Famine Relief.

The motions were carried

Demand No. 35

That a sum not exceeding Rs. 19,85,900 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 65-Pensions and Other Retirement Benefits.

Demand No. 36

That a sum not exceeding Rs. 10,200 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 67-Privy Purses and Allowances to Indian Rulers.

Demand No. 37

That a sum not exceeding Rs. 9,14,530 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 68-Stationery and Printing.

Demand No. 38

That a sum not exceeding Rs. 20,00,000 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 70-Forest.

Demand No. 39

That a sum not exceeding Rs. 39,16,760 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 71-Miscellaneous.

Demand No. 40

That a sum not exceeding Rs. 19,790 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st

April to the 30th June, 1967) in respect of 76-Other Miscellaneous Compensations and Assignments.

Demand No. 41

That a sum not exceeding Rs. 1,000 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 78-Preparation Payments.

Demand No. 42

That a sum not exceeding Rs. 40,750 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 78-A-Expenditure Connected with National Emergency.

Demand No. 43

That a sum not exceeding Rs. 3,58,000 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 95-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

Demand No. 44

That a sum not exceeding Rs. 70,16,800 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 96-Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

Demand No. 45

That a sum not exceeding Rs. 1,83,15,000 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 98-Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

Demand No. 46

That a sum not exceeding Rs. 77,00,000 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 99-Capital Outlay or Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial).

Demand No. 47

That a sum not exceeding Rs. 1,20,28,100 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 103-Capital Outlay on Public Works.

Demand No. 48

That a sum not exceeding Rs. 25,000 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 109-Capital Outlay on Other Works.

Demand No. 49

That a sum not exceeding Rs. 28,61,700 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 114-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes.

Demand No. 50

That a sum not exceeding Rs. 14,700 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 120-Payment of commuted Value of Pensions.

Demand No. 51

That a sum not exceeding Rs. 7,96,92,620 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of 124-Capital Outlay on Schemes of Government Trading.

Demand No. 52

That a sum not exceeding Rs. 4,61,00,000 be granted to the Governor on account to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (from the 1st April to the 30th June, 1967) in respect of Loans to Local Funds -Private Parties etc. Loans to Government Servants.

श्री नसीब सिंह (कलानौर): आदरणीय डिप्टी स्पीकर महोदय, आज हमारे सामने प्रोपर हरियाणा को प्रापर सरकार के

पहले साल का पहला बजट है। मेरा निवेदन है कि यह जो हरियाणा प्रांत अभी थोड़े ही दिन हुए संयुक्त प्रांत से यानी पंजाब से अलहदा हुआ है बहुत दिनों तक अपना यह प्रांत पंजाब के साथ शामिल रहा। इस शमूलियत के अन्दर जहां अंग्रेज सरकार ने इस बात को ख्याल में रखा कि यहां के लोग अंग्रेज सरकार के खिलाफ थे, वहां 1857 की पहली इण्डीपेंडेंस वार में इन्हीं ने बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेज सरकार के खिलाफ लिया था, इसलिये कलचरल तौर पर और सामाजिक तौर पर जो इनका संगठन था उस संगठन को तोड़ने के लिए हरियाणा प्रान्त को पंजाब के साथ मिलाया गया था। मैं समझता हूँ कि इसमें हमें एक बड़ा फायदा भी था और वह फायदा यह था कि बहुत दिनों तक गुलामी में रहने के कारण हमारे इलाके की डिवैल्पमेंट नहीं हो सकी थी। और चूकी उस वक्त पंजाब के काफी हिस्सा ने अंग्रेज सरकार का साथ दिया था इसलिए उस सरकार ने उनकी डिवैल्पमेंट के लिए जो वहां पर तरक्की करने के जराए थे, यानी दरिया थे उनके पानी का वहां के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यूटिलाइज किया था किन्तु हमारा यह इलाका जो पंजाब के साथ शामिल हुआ, उससे यह बड़ा भारी लीगा उठा सकती थी। इसकी हमें उम्मीद भी थी कि जबकि हमारा यह इलाका एक डिवैल्पड इलाके के साथ मिलाया गया है इसलिए उसके जो डिवैल्पमेंट के साधन हैं और जो वहां के रिसोसिज हैं उनसे हमारे इस इलाके को बड़ा भारी फायदा हो सकेगा। लेकिन बदकिस्मती से आदादी प्राप्त करने के बाद हमारे इलाके को जो लीडरशिप थी, उसमें कुछ ऐसे लोग

आ गए थे, जिन्होंने इस सुनहरी मौके का कोई फायदा नहीं उठाया बल्कि उन मतलब प्रस्तों ने अपनी खुदगरजियां पूरी करने के काम में फंस कर इस सुनहरी मौके को हाथ से गंवा दिया और हरियाणा को इसकी डिवैल्पमेंट से महरूम रखा। जो फायदा इस इलाके को हो सकता था वह यह नहीं उठा सका। इसके लिए मैं समझता हूं कि जो यहां पिछले 20 सालों में लीडरशिप रही है वह जिम्मेवार है क्योंकि उनके हाथ में उस सारे प्रान्त की हकूमत की बागडोर रही है। लेकिन अब पंजाब की इस डिवीजन के बाद जब हरियाणा प्रान्त अगल से बना, इस अरसे में जो फायदा हमें पहुंचाया जा सकता था, और खासतौर पर जिस फायदे के लिए एक बहुत कड़ी कुरबानी दी गई थी और जिसके लिए एक बहुत बड़े लाभ होने की दृष्टि से अपना नाता तोड़ा था, वह फायदा भी अपने प्रान्त की लीडरशिप ने जो उस पार्टी के पास थी, जिस पार्टी के हाथ में देश की बागडोर थी, नहीं उठा सकी। मैं तो समझता हूं कि हमारे जितने हकूक थे और जो चीजें हमारे हिस्सा में आती थी वह चीजें भी हमें नहीं मिल सकी। जो एक कमेटी हरियाणे की डिवैल्पमेंट का जायजा लेने के लिए मुकर्रर की गई थी जिसमें काबलेतरीन आदमी शामिल हुए थे, उसने हमें पहले ही बता दिया था कि हमें क्या क्या नुकसान हैं क्या क्या हमें मिलना चाहिए और यह क्यों मिलना चाहिए उस कमेटी की कीमती रिपीट से भी उस वक्त की सरकार ने कोई फायदा नहीं उठाया। मैं तो यह कहूंगा कि जो चीजें जायज तौर पर हमारे हिस्सा में आनी थी, उन्हें हासिल करने के लिए भी उस सरकार ने हरकत नहीं की

और हमारे हिस्स में जो अस्सैट्स आते थे या जो हमारे ऊपर हमारी लायबिलिटीज आनी थी उनमें भी इस सरकार ने बुरी तरह से लूज किया। जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि ट्रांसपोर्ट के मामले में हमने लूज किया है। और यह बात पिछली सरकार ने यहां पर खुद मान भी था कि हमारे हिस्सों में जो रद्दी और खराब बसें थीं वे मिली है। इसी तरह से जो अरैस्टवाइल पंजाब की बिल्डिंग थी और जो पंजाब से बाहर दूसरी स्टेटस में थी उनकी बांट में भी हम लास में रहे और इस तरह सारी की सारी इमारतें हमने लूज कर दी हैं। जो दूसरी प्रापर्टी थी उस सब पर पंजाब सरकार काबज होकर बैठ गई है। इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जो तमाम पब्लिक मफाद की चीजें थीं, जिन में बड़ी बड़ी इनस्टीच्यूशन्ज भी थीं जिन पर लाखों रूपए की लागत आई हुई थी, और जिनसे पब्लिक को बहुत फायदा होता था, उनमें से न केवल कम हिस्सा मिला है बल्कि सुनने में तो यहां तक आया है कि हमें उनमें से कुछ नहीं मिलना। इसलिए मैं इस समय बजट पर बोलते हुए जो हमारे हाउस के लीडर हैं उनसे दरखास्त करूंगा कि बहस का जवाब देते हुए वे इस बारे में रोशनी डालें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने जो हरियाणा प्रांत हासिल किया है उसमें चण्डीगढ़ का भी एक अहम मसला पैदा हो गया है और जो अभी तक वैसे ही लटक रहा है। मैं तो समझता हूं कि यह सिर्फ लटक ही नहीं रहा बल्कि ऐसा मालूम होता है कि यह हमें मिलना भी मुश्किल दिखाई देने लगा

है। इसके लिए मैं तो यह कहूंगा कि पिछली सरकार ने इस मामले में निहायत कमजोरी दिखाई है और निहायत ही खुशामदाना रेवैया दिखाया है जो कि एक घटिया किस्म का पोलिटिकल स्कैण्डल दिखाया है। इसलिए मैं मौजूदा सरकार से उम्मीद करता हूं कि वह इस बारे में पूरी मजबूती के साथ कदम उठाएगी और चण्डीगढ़, जो हरियाणा के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है और जिसके बारे में शाह-कमिशन ने रिपोर्ट दी, उसके मुताबिक भी यह हरियाणा का है। इसे हरियाणा में शामिल करने में कामयाब होने की यह पूरी कोशिश करेगी। अगर सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चण्डीगढ़ हरियाणा का होकर रहेगा और इसको दुनिया की कोई भी ताकत इससे छिन नहीं सकेगी। अगर यह हरियाणा से छिन लिया गया तो इसकी जिम्मेदारी चाहे है तो पिछली गवर्नमेंट की लेकिन अब यह जिम्मेवारी इस गवर्नमेंट पर आ जायेगी। अगर किसी तरह से चण्डीगढ़ हाथ से निकल गया और हरियाणा का न रहा तो इसकी जिम्मेदारी उस गवर्नमेंट पर होगी जो उस वक्त पावर में होगी। मैं नहीं कहता कि यह

11.00 a.m.

गवर्नमेंट क्या करेगी लेकिन यह आशा रखता हूं कि जहां चण्डीगढ़ का आर्थिक नुकसान हुआ है, वहां ऐतिहासिक नुकसान भी हो जाएगा अगर चण्डीगढ़ हम न ले सके। यह कमीशन का फैसला है और उस वक्त से यह निर्णय किया हुआ है जिस

वक्त हरियाणा का जन्म हुआ। यानी जन्म के साथ जो चीज हरियाणा को मिली अगर वह हरियाणा सुरक्षित न रख सका तो आगे आने वाली नस्लें यही कहेंगा कि हम अपनी चीज की भी सुरक्षा न कर सके। अब हमारा स्वतन्त्र अस्तित्व है, पहले तो हम कहा करते थे कि हम पंजाबी हैं, मगर हम अब हरियाणवी हैं और जहां कहीं जाएंगे तो यही कहेंगे कि हम हरियाणा के रहने वाले हैं। तो अगर हम अपने पैदायशी हकूक की रक्षा न कर सके तो हमारे ऊपर सबसे बड़ा ब्लॉट होगा।

पिछली सरकार ने बहुत ही कमजोरी दिखाई है। अगर वह मजबूती का सबूत देती तो जो हिस्सा हमें मिलता था वह बंटवारे के वक्त पूरा पूरा मिलता, लेकिन बहुत कुछ हिस्सा नहीं मिल पाया। इसके पीछे कमजोरी यह थी कि पिछली सरकार अपनी गद्दियों को और ओहदों को कायम रखना चाहती थी। अगर हम डट जाते तो हमें हमारा हक पूरा पूरा मिल जाता। लेकिन चूंकि इन्होंने कमजोरी दिखाई, इसलिए उसका नतीजा यह हुआ कि हरियाणा की जनता ने ऐसी कमजोर सरकार को उठाकर फैंक दिया और इनकी कुर्सियां चली गईं।

श्री दलसिंह: आनरेबल मेम्बर को पूरी इनफर्मेशन नहीं है, मैं बतला दू.....

मुख्यमंत्री: आपको कोई मास्टर नहीं लगाया हुआ है, आप बैठे रहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठे बैठे न बोलिए, दलसिंह जी।

श्री नसीब सिंह: जनबा, जो मदें पिछली गवर्नमेंट ने यहां पर तैयार करके रखी हैं, वह पास तो हमने करनी ही हैं क्योंकि खर्च हुआ है। लेकिन मैं, जनबा, आपके जरिए मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि जिन जिन महकमों में खर्च हुआ है, और जहां जहां पर स्कैडल हुआ है, और जनता की पाकेट काटी गई है उसकी पूरी पूरी जांच करें और देखें कि यह रूपया सही खर्च होता है।

मुझे मालूम हुआ है कि पिछली 17 तारीख से पहले पहले 50, 50 हजार रूपए की मदें खर्च करने के लिए मांगी गई हैं और इससे पहली वाली सरकार ने इस बात की ग्रंट दे दी है कि यह रूपया 31 मार्च से पहले पहले खर्च कर दो। मुझे शक है कि यह रूपया अंडवंड कर दिया जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह सरकार इसको ठीक तरह से खर्च होने दे।

डिप्टी स्पीकर साहिब, हरियाणा प्रान्त खेती-प्रधान देश है। जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में कहा गया है और गवर्नर साहिब ने भी ऐड्रेस में कहा है कि खेतीबाड़ी की तरह पूरा पूरा ध्यान दिया जाएगा, इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रकम ट्यूबवैल वगैरह के लिए रखी है, वह बहुत कम है। यह तो सबको ही पता है कि हरियाणा पानी के लिए प्यासा है, इसे पानी मिलना चाहिए। नहरों द्वारा उतना पानी नहीं मिलता,

इसलिए जहां पर नहरों के किनारे ट्यूबवैज के जरिए पानी निकल सकता है, वहां ज्यादा से ज्यादा पानी निकलवा कर नहरों में डलवा कर या और नालियां बनवाकर प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इसके लिए और रूपया रखने की जरूरत है। इक्तसादी माहर यह कहते हैं कि 20 साल के अन्दर तो चप्पे चप्पे पर नहर जा सकती थी और टीले-टीले पर ट्यूबवैल लगाए जा सकते थे मगर हमारे साथ सदा से इम्तयाजी सलूक हुआ जिसको नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। आज हरियाणा में जनता की अपनी सरकार आई है, उसका यह फर्ज बनता है कि जहां बड़ी स्कीमें बनायेगी वहां ट्यूबवैल और छोटे छोटे लोकल साधनों की तरफ जरूर ध्यान दे ताकि जल्दी से जल्दी वहां की धरती की प्यास बुझाई जा सके। पुराने कोटे से पानी नाम का तो मिला है मगर सही हालत यह है कि पानी नहरों की टेल तक नहीं पहुंच सका है और पिछले साल से तो बहुत ही कमी रही हैं जिसका नतीजा यह है कि कहत पर कहत पड़ रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि हरियाणा की वर्तमान दशा को देखते हुए जल्दी से जल्दी पानी मुहैया करेन की स्कीमें बनाई जानी चाहिए। और अन्य स्कीमों में न लगे रह कर जो छोटे-छोटे कुएं, ट्यूबवैल आदि हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।

रोहतक और हिसार के इलाके में नहरों के नजदीक पानी निकलने लगा है, वहां पर ट्यूबवैल लगवाए जाने चाहिए। यही नहीं, पीने के पानी की भी दिक्कत है, वह भी तभी दूर हो

सकता है जब सरकार पूरी कोशिश करे और लोगों को सहूलियत दें। यह देखा गया है कि अगर कोई आदमी पानी निकालने के लिए कोशिश करता है और खर्च करता है, मगर कहीं पानी ठीक न निकला या बिलकुल ही न निकला तो वह मायूस हो कर बैठ जाता है, इसलिए अगर लोगों को मदद दी जाए तो वह अपने प्रयत्न जारी रखेंगे और पानी निकलेगा। एक जगह नहीं तो दूसरी जगह निकलेगा। लेकिन सरकार को चाहिए कि वह लोगों को इनसेटिव दे। जिन लोगों को ट्यूबवैल के लिए बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए उन्हें जल्दी से जल्दी मिलने चाहिए। बिजली के कनेक्शन के लिए दफतरों में दो दो साल की एप्लीकेशनज पड़ी हैं जिन्हें अभी तक कनेक्शनज नहीं मिले। पिछली सरकार के वक्त एक खास बात रही है, वह कहते थे कि जो दो हजार रूपया दे देगा उसको फौरन कनेक्शन मिल जाएगा। कनौर ब्लॉक में जिन्होंने 2 हजार रूपया दिया उनको कनेक्शन मिलते रहे हैं।

मुख्यमंत्री: वह पहले की बात थी अब ऐसा नहीं होगा।

श्री नसीब सिंह: मेरा कहने का भाव यह है कि लोगों को ट्यूबवैल के लिए कनेक्शनज जल्दी से जल्दी मिलने चाहिए। यह ऐसा मसला है जहां पर अगर सरकार को कुछ कहीं घाटा भी पड़ता दिखाई दे तो भी लोगों को कनेक्शन देना चाहिए, महज रूल्ज से ही नहीं बंधे रहना चाहिए। ट्यूबवैल के लिए सरकार तब सहूलत देती है और किसी के पास 15 एकड़ जमीन हो और वह

उसे सरकार के पास रहन रखे, तब उसे कर्जा मिलता है। इसी तरह ट्रैक्टर के लिए तब लोन मिलता है अगर किसी के पास 30 एकड़ जमीन हो और वह गिरवी रखे। सरकार चार हजार रूपया तो सिर्फ लोन देती है जो कि चार एकड़ जमीन की कीमत के बराबर होता है इसलिए 15 एकड़ रहन रखने का तो सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए। इसलिए यह शर्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिनके पास 15 एकड़ जमीन न होती वह ट्यूबवैल नहीं लगा सकते। इसके अलावा मेरी एक और शिकायत है। वह यह है कि कर्जाजात जो पंचायत समितियों की मारफत किसानों को मिल रहे हैं, वह सिफारशी लोग ही हेरा फेरी करके ले जाते हैं और जो डिजर्विंग लोग होते हैं उनको नहीं मिलता है। लोगों की यह आवाज है कि डिप्टी कमिश्नर की मारफत जो लोनज मिलते हैं वह ठीक मिल रहे हैं। इसलिए मैं पंचायत मंत्री साहिब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि वह इस शिकायत को दूर करवाने का यत्न करें। इसके अलावा जो जरायती कर्जे दिए जाते हैं उनसे 7½ प्रतिशत इंटरैस्ट वसूल किया जाता है लेकिन दूसरी तरफ इंडिविज्वल लोनज पर 3½ प्रतिशत इंटरैस्ट लिया जाता है। इण्डस्ट्री की निसबत जरायत की कोई कम इम्पार्टेस नहीं है। इसलिए किसानों से भी 3½ प्रतिशत इंटरैस्ट लिया जाना चाहिए। इसके अलावा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के लिए जो ग्राण्ट दी जाती थी वह अब बन्द कर दी गई है। इस मौके पर मैं समझता हूं कि यह ठीक चीज नहीं की गई बल्कि मैं तो समझता हूं कि किसानों को फ्री औजार मिलने चाहिए थे और उस घाटे को घाटा नहीं समझा

जाना चाहिए। इसी तरह खाद की कीमत 15 रूपए कट्टा जो पहले थी अब बढ़ाकर 19½ रूपए कर दी गई है। यह किसानों पर बोझ है और इससे पैदावार में इजाफा नहीं हो पाएगा। लोग कहते हैं कि यह सरकार तो पैसे कमाने की तरफ लगी हुई है, जनता की भलाई का इनको कोई ख्याल नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

हमारी सरकार की जो पुलिस है वह दफा 107/109 के तहत सौ सौ दो दो सौ आदमियों को खाहमखह कचहरियों में बैठाए रखती है। डिप्टी स्पीकर साहिब, किसान को अगर नाजायज तौर पर पकड़ कर कचहरियों में बैठाये रखा जाए तो मैं समझता हूं कि उसका जाती नुकसान तो है ही मगर उससे सारे देश का नुकसान है क्योंकि अगर किसान को खेत में काम न करने दिया जाए तो पैदावार कैसे बढ़ेगी। इसी तरह इम्पीरियलिस्ट तरीके से पुलिस लोगों को तकलीफ दे रही है। इस चीज को रोकना चाहिए।

बस मैं इतना कह कर आप को शुक्रिया अदा करता हूं और कहता हूं कि यह बजट पास कर दिया जाए।

Ch. Debi Singh Tewatis (Hathin): Mr. Deputy Speaker, so far as the present budget is concerned, I would like to comment on one item with regard to the tax relief. In the present budget, the only tax relief that is being given is to the peasants. The peasantry deserves certain tax relief. But

certain administrative matters have not been properly taken into consideration while giving this tax relief.

So far as tax structure is concerned, normally one factor has to be taken into consideration, i.e., as to how much the Government is going to receive and how much it is going to spend on its collection. So far as the revenue is concerned and the machinery to collect it is concerned, there is no relief to the Government because the machinery meant for collection is going to be as it is. The Government has not dispensed with the services of Patwaris, Naib Tehsidars, S.D.Os etc. This is the revenue machinery for tax collection. So far as the Government is concerned, there is no relief to the Government as the over head expenditure would continue unabated. So far as the peasantry is concerned I do not know if it is going to be benefited very much. In the Newspapers it is stated that this tax relief would hardly be Rs. 12- or something per 5 acres. I think this concession could have been given in some other form to the peasants. I think, Sir, this concession should have been given to the peasants in another form, especially because now a process of fragmentation of holdings will start. Those holding more than five acres of land will distribute their land among their sons and other relatives. Their holdings, in due course of time, probably within a few months, will be less than five acres. The consolidation operations will also be adversely affected. Possibly, the Government may frame a rule or pass an Act to the effect that a unit of five acres of land will be taken from the date the concession is given. Disputes may arise over it. It will become difficult to distinguish between genuine and non-genuine

cases. So, I personally feel that this concession, which the peasants deserved, may not prove worth-while to them.

Now, Sir, I would like to comment on certain other items. I take the Agriculture first. From the demand, it appears that sufficient money has not been allocated for the development of agriculture, which has today assumed a most important place in our economy. In fact, it has assumed a certain amount of importance, not only with regard to the economy of the country, but with regard to the respect of the country as well. It cannot be denied that lack of proper development of Agriculture has reduced the nation to the nation of beggars and any huge amount, that could have been allocated for the development of agriculture, should have been considered meagre. So, through you, Sir, I would like to convey to the Government that as this Budget is only for three months, in the Budget for the whole year, more money should be allocated for the development of agriculture.

There is another item about Government Trading. About 8/9 crores of rupees have been ear-marked for that purpose. There is no mention to the effect whether this includes State Trading in food-grains also. We obtain for this State imported foodgrains through the Central Government and added to that is what is produced by us in our State and so there is not such a scarcity, that food-grain cannot be obtained, if one is prepared to pay sufficient money for it. It may not be available from the Government Depots, but it is certainly available from the open market, if one is prepared to pay more than the reasonable price. It shows that there is no dearth of foodgrains as such in this State. But, there is

certain anomaly in the matter of distribution of foodgrains. This anomaly can be removed only if the State takes over the distribution of foodgrains, both wholesale and retail. It is rather necessary and most desirable in the circumstances, today that the State should, at the earliest, declare its policy with regard to the State trading in foodgrains and nationalisation of the distribution and procurement of foodgrains. Secondly, Sir, there is no indication of the fact that Government is doing any thing special with regard to the fixation of prices of foodgrains. I think, it is most essential to induce farmers to produce more. Reasonable prices of foodgrains should be fixed well in advance before the harvesting of the new crop. An endeavour should also be made to eliminate the middle-man from between the consumers and the producers. I will request the Government through you, Sir, that it should take very early steps in this direction.

Now, I come to the General Administration. There are all round reports of grievance about the delays, inefficiency and corruption in the matter of general administration. My submission would be, in this regard, that the administration has to be stream-lined. Today, there is so much over-lapping of functions and powers; the responsibility is so much diffused, that whenever something goes wrong, it is not possible for an administrator or an executive head to lay his hand on any particular erring officer, or to pin-point a particular officer for the delay and irregularity. In this connection, I would give an instance of the Block Development Officer. He is an officer who is entrusted with innumerable functions. He shoulders everybody else's responsibility. He is responsible for everything that goes around him in the district

or hin his Block. Every-body's responsibility is nobody's responsibility, so the proverb goes. So, either you have to dispense with the services of the Block Development Officer and his staff, or have to dispense with the services of particularly the Tehsildar and Naib-Tehsildar, who are also supposed to do the same development work. For that, I would suggest certain things. Too much centralisation of power has led to inefficiency in administration. This should be avoided Government is mainly responsible for the maintenance of law and order, so that the citizens may breath in free air, 80/90 per cent of population lives in rural areas, and their development, social, economic and cultural, is the responsibility of the Government. For that, I would suggest that the Deputy Commissioner should be mainly held responsible for the maintenance of law and order. There will not be now much work for him about the collection of land revenue. He will, however, have to look to matters regarding maintenance of revenue records, etc. In addition, there should be appointed a senior officer in the district, under whom should come all other officers. He should be considered senior even to the Deputy Commissioner. He should be solely concenred with development work in the district. This pattern of administration should be put into effect as soon as it is possible.

Now, Sir, whenever a demand arises with regard to the partition of the country or the State, the main factor is the economic factor.

श्री भगवान देव प्रभाकर: On a point of order, Sir
ट्रैयरी बेंचिज की ओर से जब श्री नसीब सिंह जी बोले तब तो

उनको थोड़ा समय दिया गया परन्तु अब इनको अधिक समय दिया जा रहा है। तो उपाध्यक्ष महोदय में जानना चाहता हूँ कि क्या समय पर कोई लिमिट नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष: समय की लिमिट है। Please try to wind up

Ch. Debi Singh Tewatis: It was the economic backwardness of a part of the erstwhile Punjab State that resulted in the creation of this separate State. Therefore, Sir, my submission to the Government, through you, would be that there has to be a certain basic principle on which development in the State should follow. Taking the block as the basic unit, there has to be a certain categorization of the whole State into 'A', 'B', 'C' and 'D', type of blocks and funds should be so spent that 'A', type of block and 'D' type of blocks come at par with each other within certain specified period. For example, if Rs. 25/- are spent on block 'A' Rs. 75/- should be spent on the development of block 'D' to enable to come at par with block 'A'. If such a policy is followed, I do not think there will be any clamour of a Minister being of this District or that District or of this area or of that area. If such a principle is followed strictly, honestly, and with fairness, by the politicians, I am sure the officers or the administration will not lag behind and will rise to the occasion.

Mr. Deputy Speaker, now coming to the education policy in the State I may state my main grievance and the grievance of the Villagers often is that whenever a question of opening a new school or of upgrading an existing school to

higher standard in Vill.s comes up, certain conditions are imposed. They are asked to gie a certain amount of funds to construct the building and/or to give free land for the school building, whereas no such condition is enforced so far as opening of schools incities is concerned. So, Mr. Deputy Speaker, the main grievance of the Vill.rs is that they are disc iminated against in the matter of opening of the upgrading of schools. Huge amount of money is being spent in the cities for education and other institutions. Therefore, Sir, through you, I would suggest to this Government to take immediate steps to remove discrimination in the case of such an important subject like education in which the Vill.rs lag so much behind.

Mr. Deputy Speaker: Please wind up.

Ch. Debi Singh Tewatis: Now, Sir, coming to the irrigation side I would like to bring to the notice of this Government the fact that in this State of ours different rates of abiana are being charged in different areas. Certain areas of Gurgaon are being irrigated by the Agra Canal, administration of which is in the hands of the U.P. Government. Abiana in those areas are being charged at almost double thereate at which it is charged in other parts of Haryana. So my request or submission is that the people who are taking water of the Agra Canal should not be charged abiana at a higher rate. They should be charged abiana at the rate prevalent in other parts of the State, and the balance if any to be paid to U.P. authorities, should be paid out of the Government funds of the Haryana State.

Again, Mr. Deputy Speaker, I would touch only for a second to another subject that was raised by Thakur Nasib

Sing Jee i.e. separation of Judiciary from Executive. Sir, Judiciary was separated from the Executive during the regime in the Joint Punjab. But powers under Sections 107 and 151 of the Criminal Procedure Code were left with the S.D.Os. I would request the Government that these powers under the Criminal Procedure Code be also entrusted to the Judicial Magistrates instead of Executive Magistrates, so that the peasants and the people may not fear the police so much as has been expressed by Thakur Nasib Singh Jee.

Thank You.

श्री दया कृष्ण (जींद): जनबा डिप्टी स्पीकर साहिब, सबसे पहले जो यह छोटी सी किताब "वोट आन अकार्डट" हमें तकसीम की गई है इसमें एक अहम गलती है जिसे कि मैं हाउस के सामने प्वायंट आउट करना चाहता हूं। आप देखेंगे कि इसके सफा 2 पर लिखा है "In thousands of Rupees" इसका मतलब यह कि जो यह रकम मांग रहे हैं जो इस किताब में लिखी है वह थारुजेंडज में हैं लेकिन अगर आप इन फिगरज का मुलाहिजा करें तो यह थारुजेंडणज में नहीं है।

कुछ सदस्य: यह क्लैरिकल मिसटेक हो गई होगी।

श्री दया कृष्ण: अगर ये इस मिसटेक को समझ गए हैं तो इसको कुरैक्टर कर दें, चाहे यह क्लैरिकल हो या मिनिस्टीरियल हो, बात एक ही है। इसका दरुस्त हो बहुत जरूरी है वरना इस अहम किताब में एक अहम गलती रह जाएगी।

अब इसके मुतल्लिक में कुछ अर्ज करूंगा। हमारा नया हरियाणा बना है और नए इलैक्शन अभी हुए हैं तथा तमाम हरियाणा के निवासियों की निगाह इस सदन पर लगी हुई थी कि यह उसके लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन जब हरियाणा निवासी यह देखते हैं कि वे आपस में ही लड़ते हैं, फलोर आफ दी हाउस को क्रोस करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, पर्सनल कंडक्ट को तो आप डिसकस न करें।

श्री दया कृष्ण: यह मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर बोल रहा हूं। इसमें मिनिस्ट्रों की और बाकी सदस्यों की भी तनखाह आएगी।

श्री उपाध्यक्ष: तनखाह तो आएगी परन्तु पर्सनल कंडक्ट तो नहीं आएगा।

श्री दया कृष्ण: मैं अर्ज करूंगा कि जब जनरल पब्लिक यह देखती है कि हमारे लोडरों का यह हाल है तो उनको निराशा होती है। अब यह देखना है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से ठीक हो सकता है। वह तभी ठीक हो सकता है जबकि उसके हैडज ठीक हों, उनका कंडक्ट ठीक हो। लेकिन जब इसके हैडज का यह हाल हो कि वे एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएं तब यह एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक नहीं रह सकता।

मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अर्ज कर रहा था कि हमारी पब्लिक क्या चाहती है। जैसे एक पुराना मुहावरा है:

“For form of Government let fools contest,

Whosoever governs best is the best.”

कहने का मतलब यह है कि लोग यह नहीं देखते कि यह डिक्टेटरशिप है, या अनारकी है या डेमोक्रेसी है या किस पार्टी की हकूमत है। वे तो यह चाहते हैं कि उनको अच्छी हकूमत मिले। जब वे देखते हैं कि यह राज ठीक नहीं तब उनको तकलीफ होती है। इस बार भी लोगों को खुशी नहीं हुई। इसका कारण यह है कि हमारे जो लीडर हैं उनका कंडक्टर ठीक नहीं और उन्होंने अभी इलैक्शन में भी

श्री मंगलसैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, प्लीज। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आपकी रूनिंग चाहूंगा कि क्या किसी आनरेबल मेंबर का कंडक्ट या किसी आनरेबल मिनिस्टर का कंडक्ट बजट स्पीच में डिसकस हो सकता है?

श्री उपाध्यक्ष: डिसकस नहीं हो सकता। माननीय सदस्य, आप कोई पर्सनल कंडक्ट डिसकस न करें।

श्री दया कृष्ण: मैं एक बुनियादी बात यहां करके इस सबजैकअ को खतम करूंगा वह यह कि एक बार एक कुएं में एक सूअर गिर गया और पानी गन्दा हो गया। इस पर उस गांव के लोगो ने उस कुएं का पानी निकालना शुरू किया ताकि नया पानी

आ सके और बदबू कम हो सके। लेकिन जब कई दिन बीत गए और वह अपने एम में सफल नहीं हुए तो एक समझदार व्यक्ति ने कहा कि भाई जब तक तुम उस सूअर को नहीं निकालोगे तब तक पानी ठीक नहीं होगा और यह बदबू नहीं जाएगी।

श्री मंगल सैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आपकी रूलिंग इस बात पर चाहता हूँ। मैंने पहले भी यह कहा था कि मैं श्री दया कृष्ण की बड़ी इज्जत करता हूँ। इन्होंने जो यह बता फरमाई है कि हमने एक सूअर को निकाल उधर किया है, क्या यह ऐसी बात यहां पर किसी चीफ मिनिस्टर के बारे में कह सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

विकास मंत्री: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं। यह पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई आनरेबल मेम्बर पहले चीफ मिनिस्टर को यहां सूअर कह सकता है?

श्री उपाध्यक्ष: आप पर्सनल न हों।

चौ. रिजक राम: मैं तो समझता हूँ कि मौजूदा को या पिछले चीफ मिनिस्टर दोनों में से किसी के बारे में भी यह लफ्ज नहीं कहे जा सकते और न ही कहे जाने चाहिए।

श्री दया कृष्ण: डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज कर रहा था कि सूअर से मेरा मतलब यह था (सरकारी बेंचों की तरफ से विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: इस बात को छोड़ो और बजट पर बोलो।

श्री दया कृष्ण: अच्छा जी, मैं उस बात को छोड़ता हूँ और सिर्फ़ इतीन सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर जो आदमी टाप पर हों उनके मन से बेईमानी ना निकले तो कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं रह सकेगी और न ही कुछ और ठीक रह सकते हैं। हम चाहे लाख रिफार्मज लागू कर दें लेकिन अगर दिल में बेईमानी है तो उस रिफार्मज से भी कुछ फायदा होने वाला नहीं। जब तब हमारी बेईमानी ठीक नहीं होती तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। ओर अगर बेईमानी से तरक्की हो जाती है तो भी उसका तब तक फायदा नहीं होगा जब तक वह बेईमानी दूर नहीं हो जाती। वह हम सबको सोचना चाहिए कि हम गलत राह पर न चलें। अगर हम ही गलत राह पर चलेंगे तो पब्लिक भी हमें चलते देखकर गलत राह पर चलने लगेगी। चौ. हरद्वारी लाल जी ने इस्तीफा दे दिया है.....

श्री उपाध्यक्ष: आप किसी का नाम लेकर बात न करें।

श्री दया कृष्ण: मैं तो सिर्फ़ यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने किया है उसी तरीका से दूसरे उन सब साथियों को करना चाहिए जिन्होंने फ्लोर क्रास किया है.....

श्री मंगल सैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। क्या आनरेबल मेम्बर अपनी स्पीच में रैलेवेंट हैं? कम अज कम इनकी जो कि खुद एक एडवोकेट हैं ऐसी इररैलेवेंट बातें यहां पर नहीं करनी चाहिए। इनसे तो यह आशा नहीं की जा सकती।

श्री उपाध्यक्ष: आप इस बातों को छोड़ें और डिमांडज पर बोलें।

श्री रणसिंह: आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहिब, क्या यह डिमांड नहीं है कि जो मेम्बर अपनी पार्टी छोड़ कर उधार जा बैठे हैं वह तमाम इस्तीफा दे दें?

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री दया कृष्ण: डिप्टी स्पीकर साहिब, अब मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर कुछ कहना चाहता हूं। मेरा यह विश्वास है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वह आपने आका को देख कर चलती है। आज हालत यह है कि बगैर सिफारिश के और बगैर रिश्वत के बहुत कम काम बनते हैं। मैंने पहले पहले ही अर्ज कर दिया है कि चाहे किसी भी पार्टी का राज्य हो जो सही बात हो वह जरूर होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर बगैर किसी सिफारिश के या बगैर रिश्वत के काम नहीं होता। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन दोनों चीजों को खतम करे और अगर यह समझती है कि यह दोनों चीजें खतम नहीं हो सकती तो कम से कम यह

दोनों चीजें बहुत हद तक कम जरूरत होनी चाहिए। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहिब, यह बहुत इंट्रस्ट कर रहे हैं। अगर यह इसी तरह से करते रहे तो मैं इनके पोल खोल दूंगा।

श्री मंगल सैन: जरूर खोलिए। हमें भी पता लगना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आप इन बातों को छोड़ें और डिबेट रिज्यूम करिए।

श्री दया कृष्ण: तो मैं अर्ज कर रहा था कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जो तीसरी कमी है वह है डिलेज की। हर सरकारी काम में डिले बहुत होती है। मैं गवर्नमेंट से अर्ज करूंगा कि वह डिलेज को कम कराए।

अब मैं खुराक के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। सारे मेम्बर साहिबान ने इलैक्शन के दिनों में गावों में घूस कर देखा होगा कि लोगों की पहली यही डिमांड है कि उन्हें पेट भरने के लिए रोटी मुयस्सर होनी चाहिए। गरीब लोग तो यही कहते थे कि अगर उन्हें रोटी मिलेगी तो वह वोट देंगे वरना अपना वोट भी नहीं देंगे। लेकिन मुझे यह बात दुःख के साथ कहनी पड़ती है कि गरीब लोगों को रोटी देने के मामले में बड़ी लापरवाही से काम लिया गया है और सबसे ज्यादा हकूमत बनाने के काम की परवाह की गई है। भूखों को रोटी देने की तरफ जरा अगर हम गंदम को प्रोडक्शन की फिगरज को देखें तो पता चलता है कि हरियाणा में

यह 1950-51 के मुकाबला में 1964-65 में बढ़ी है। आप देखें जहां 1950-51 में गंदम की पैदावार 2,94,000 मीट्रीक टन थी वहां यह 1964-65 में 8,69,000 मीट्रीक टन हो गई थी, इसी तरह से चने की पैदावार को आप देखें, जहां यह 1950-51 में 39,800 मीट्रीक टन थी वहां 1964-65 में यह 3,85,000 मीट्रीक टन हुई थी। इसी तरह से आप गुड और काटने को देखें। गुड की पैदावार 1950-51 में 1,84,000 मीट्रीक टन हुई थी वहां 1964-65 में 7,67,000 मीट्रीक टन हुई थी और काटने की जहां यह उस साल में 0.36 हजार टन हुई थी वहां यह 1964-65 में 30.59 जार मीट्रीक हजार टन हो गई थी, तो इससे साफ पता चलता है कि हालांकि हरियाणा में प्रोडक्शन पहले की निसबत काफी बढ़ी है वहां भूख भी बढ़ी है। इस बारे में मैं सदन के सामने यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि हरियाणा में पापुलेशन भी कोई ज्यादा इन सालों में नहीं बढ़ी। आप देखें कि जहां हरियाणा की आबादी 1951 में 56,57,489 थी तो यह 1961 में सिर्फ 65,90,543 थी। इससे मालूम होता है कि हरियाणा में जिस रेशों से फूड की प्रोडक्शन बढ़ी है उससे कम रेशों में यहां आबादी बढ़ी है। जिससे साफ जाहिर होता है कि इसका कारण कुछ ओर है। मैं समझता हूं कि यहां का अनाज यू.पी. और दिल्ली के साथ लग जाने से वहां चला जाता है। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से अर्ज करूंगा कि यू.पी. और दिल्ली को इसके जोन से निकाल दिया जाए ताकि यहा के व्हीट के स्टाक हरियाणा से बाहिर न चले जाए।

इसके बाद मैं पुलिस के मुतल्लिक कुछ अर्ज करना चाहता हूं। पुलिस का यह हाल है कि अगर कोई आदमी किसी कागनीजेबल केस के ओफेस की रिपोर्ट पुलिस के पास दर्ज कराने जाता है तो वह दर्ज नहीं की जाती। जो मजल्म होते हैं उनकी पुलिस बिल्कुल मदद नहीं करती। इस तरह स्टेट में हो रहे क्राईम का ठीक पता भी नहीं लग सकता। मैं तो कहूंगा कि जिस तरह से दुकानदार लोग टैक्स से बचने के लिए अलग वहीं खाते रखते हैं ओर अपने लिए अलग रखते हैं इसी तरह से अगर पुलिस भी डुप्लीकेट रजिस्टर रखे तब भी क्राईम का सही अन्दाजा लग सकेगा। आमतौर पर देखा गया है कि स्टेट में गरीब लोगों के ही दफा 107 के तहत चालान किए जाते हैं ओर उनको तंग किया जाता है। उन लोगों को इस पुलिस से छुटकारा मिलता चाहिए। जहां तक इनवेस्टीगेशन आफ केसिज का ताल्लुक है यह भी तसल्लीबख्श तरीके से नहीं की जाती। अक्वल तो केसिज रजिस्टर ही नहीं होते ओर अगर कोई केस रजिस्टर हो भी जाए तो तफतीश में ध्यान नहीं दिया जाता। पुलिस केसिज की इनवेस्टीगेशन करती ही नहीं ओर दूसरे कामों में लगी रहती है। इसके अलावा ऐग्रीकल्चर की ओर ध्यान देना भी सबसे जरूरी है। जिन लोगों की बिजली के कनेक्शन नहीं मिले हैं, उन्हें ट्यूबवैल लगाने के लिए कनेक्शन मिलने चाहिए ओर जब तक कनेक्शन मिल नहीं जाते तब तक रहट वगैरह ऐसे छोटे-छोटे साधनों को काम में लाना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि हमारे यहां बहुत अच्छी जमीन है मगर बगैर पानी के कुछ पैदा नहीं हो पाता या

होता है तो बहुत कम पैदा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी सरकार इस तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान देगी। इन चन्द लपजों के साथ मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री जगन्नाथ (बवानी खेड़ा, ए.एस.सी): डिप्टी स्पीकर साहिब, मैंने तो बहुत दिनों के बाद आज सुख की सांस ली है। यह सच है कि मेरी जिन्दगी के सात आठ महीने बहुत खराब गुजरे हैं। जब से यह मिनिस्ट्री बनी है, मुझे कुछ चैन आया है। मैं समझता हूँ कि यह मिनिस्ट्री पहले से अच्छी है और अच्छा काम करेगी, क्योंकि इसके मिनिस्टर पहली मिनिस्टर पहली मिनिस्ट्री से काबिल हैं, अनुभवी हैं, इनमें से कुछ फौजी भी हैं और सारे यही सोचते हैं कि हरियाणा को ऊंचा उठाया जाए और डिप्टी, स्पीकर साहिब, अगर आप इस तरफ तवज्जुह दें, तो देखेंगे कि हमारे मेजर अमीर सिंह जी तो ऐसे बैठे हैं जैसे चांद पर ही उड़ना चाहते हों। (हंसी) (मेजर साहिब के कानों पर एग्रेरोनाट की तरह हियरिंग एड के यंत्र थे।)

चौधरी रिजक राम: श्री जगन्नाथ ने डिस्कीमिनेशन किया है, दौला साहिब का नाम नहीं लिया।

श्री जगन्नाथ: मैं आप का भी नाम लेने वाला था। खैर यह मैं समझता हूँ कि डिप्टी स्पीकर साहिब, कि यह हमारे मिनिस्टर पहली मिनिस्टरी की तरह जलालत नहीं करेंगे।

श्री दल सिंह: यह जलालत लफज अनपार्लियमेंट है।
इसे विदङ्गा कराइए।

श्री जगन्नाथ: जनाब, इनकी बहुत सी बातें हैं, अभी तो मैंनें शुरू ही किया है। अभी चौधरी दल सिंह के पालल्टरी फार्म की बात तो की ही नहीं, और यह भी नहीं कहा कि इन्होंनें एक औरत अपने घर में रख ली.....

श्री दलसिंह: **I resent I,** डिप्टी स्पीकर साहिब, अगर एक मैम्बर को इस तरह की लेंग्वेज इस्तेमाल करने के लिए इजाजत दी गई तो मैं भी कहूंगा कि यह उन आदमियों में से है जो पंडित भगवतदयाल के पांव चूमा करते थे।

श्री उपाध्यक्ष: ऑडर प्लीज, ऑडर। जगन्नाथ जी, अपने लफज वापिस लिजिए।

श्री जगन्नाथ: आप जो कुट कहेंगे मैं वापिस लेता हूँ लेकिन यह सच है कि पिटली सरकार में ऐसे पाप किए जो धोए नहीं धो सकते.....

चौधरी रिजक राम: देखो जगन्नाथ, हम तुम साथ रहें हैं, यह तेरी ज्यादाती है।

श्री जगन्नाथ: मैं चौधरी साहब आपकी कदर करता हूँ लेकिन यह बात तो तुलसी दास जी ने कही हैं कि कुसंग का असर जरूर पडता है, और वहह आप पर भी हो गया है।

श्री दलसिंह: पान तो इसने किए हैं

श्री जगन्नाथ: मैंने पाप किए हैं, मैंने तो वह काम किया है जो कांग्रेस के महान नेता महात्मा गांधी चाहते थे । उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस की जरूरत नहीं रही इसे तोड़ दें और हमने आज उसे तोड़ दिया है । मैंने तो महात्मा गांधी के सपनों को पूरा किया है ।

श्री उपाध्यक्ष: जगन्नाथ जी, इसकी क्या रिलेवेंसी है ?

श्री जगन्नाथ: मैं तो यही कहा रहा हूं कि मैंने तो महात्मा गांधी की बात मानी हैं और तुलसीदास जी की वाणी रामायण में लिखा है कि कुसंगत का असर बुरा होता है यही मैं चौधरी रिजक राम जी को और यह जो बच्चों जैसे कई बैठे है । उनको कहना चाहता हूं कि अगर आप भगवतदयाल के साथ रहें जिसने सन् 1942 के अन्दर गदारी कि थी, और हरियाणा के लोगों के साथ गद्दारी की है

श्री दल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिब, अगर हाउस का डेकोरम और डिगनिटी इस तरह से रही तो यह कार्यवाही नहीं चलेगी । इन्होंने पहले जलालत कहा फिर गद्दारी का लफज इसतेमाल किया, यह ठिक नहीं है । यह खुद पांव चूमने वाला है ।

श्री उपाध्यक्ष: तुमने भी कह लिया चलो बराबर हो गया ।

श्री लेखवती जैन: जनाब, डिप्टी साहिब, जो जगन्नाथ ने गददारी का लफज कहा हैं यह अनपालियामेंटी है। हस विदड़ा करवाइए।

श्री जगन्नाथ: मैं तो आपका हुक्म मानता हूं। आप हो कहेंगे मैं विदड़ा करता हूं। जनाब, इलैक्शन के दिनों में श्री दलसिंह ने और भगवतदयाल ने ऐरे गेरे तत्थू खेरे

श्री दल सिंह: इन्होंने फिर ऐरे गेरे नत्थू खेरे इस्तेमाल किया।

श्री उपाध्यक्ष: आप जगन्नाथ जी पर्सनल कोई बात न कहें।

श्री जगन्नाथ: मैं, जनाब यही कहना चाहता हू कि इन्होंने, ज्यादतियां की है। कांग्रेसियों के इलाके में तो पानी जाता था लेकिन हमारे जैसे जो कांग्रेसी थे उनके हल्के में बिल्कुल पानी जाने ही नहीं दिया जाता था। यह उक इनके कारनामों की बडी भारी जलालत थी।

श्री दलसिंह: क्या मैम्बर का यह हक है कि वह बार बार दूसरों को जलील कहे या जलालत का लफज इस्तेमाल करें? मैं कहता हूं कि इस जैसा जलील सारे हिंदुसतान में नहीं हो सकता।

राजस्व मन्त्री: जनाब, इन्होंने जलील लफज कहा है, इसे यह वापिस लें।

श्री भगवान देव: आन ए प्वाएंट 1अफ आर्डर सर। जनाब, जलील लफज अनपालिर्यमेंट्री माना गया है, मैं आप से रिक्वैस्ट करता हूं कि यह लफज आनरेबल मैम्बर वापिस लें।

श्री उपाध्यक्ष: चौधरी दल सिंह आप और जगन्नाथअपने अपने लफज वापिस लिजिए।

श्री दल सिंह: मैं अपने लफज वापिस लेता हूं।

श्रीमति लेखवती जैन: मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। डिप्टी स्पीकर साहिब, जब मैं डिप्टी चेयरमैन थी तो कभी ऐसी बातें हस हाउस में दूसरी सब जगहों पर तारीफ हुआ करती थी। इस लिए मैं उम्मीद करती हूं कि आप किसी को भी कोई ऐसा शब्द बोलने की इजाजत नहीं देंगे जिस से इस सदन की डिगनिटी में फर्क आए।

श्री उपाध्यक्ष: ऐसा कहने की किसी को इजाजत नहीं होगी।

श्री मंगल सेन: डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आप का रूलिंग चाहता हूं की क्या कोई आदमी आप को ऐसा सरमन जारी कर सकता है कि जब मैं डिप्टी चेयरमैन थी तो यह करती थी, वह करती थी ?

श्री उपाध्यक्ष: चलो कोई बात नहीं।

चौधरी रिजक राम: डिप्टी स्पीकर साहिब, अगर हाउस की डिगनिटी को कायम रखने के लिए कोई मैम्बर आप को सजैषन दे तो उस पर डाक्टर मंगल सेन जी को एतराज नहीं करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: हां जी, ठीक है।

श्री जगन्नाथ: भिवानी तहसील का जो सैण्डी एरिया है वहां सडक बनाने के लिए अरथावर्क हुआ पडा है, अगर उसे जल्दी से जल्दी पक्का न किया गया तो वहां पर फिर रेत उड कर पड जाएगी और फिर जितना खर्चा हुआ है वह सारा बेकार जाएगा। इस लिए उसे पक्का कर दिया जाए। हमारे चौधरी रिजक राम जी वहां के लिए लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम बना कर आए थे मगर श्री भगवतदयाल ने वह स्कीम बंद कर दी थी। मैं अब अपनी संयुक्त सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि उन स्कीमों को जारी रखें। भिवानी तहसील में पानी खारा है इसलिए वहां कम से कम पीने के पानी का जरूर प्रबन्ध करना चाहिए और जो पांच पांच हजार रुपया श्री रामधारी जैसे को दे देते हैं ऐसी फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए।

Development Minister : Sir, the matter is pinding in the court, and audit shold not come on record.

Mr. Deputy Speakar: Not allowed.

Personal explanation by Shri Ram Dhari Balmiki

श्री रामधारी: आन ए प्वाएंट आफ, पर्सनल एकस्प्लेनेशन , सर। चौधरी जगन्नाथ ने मेरे बारे में कहा है कि मैं पंच हजार रुपया मंदिर के लिए ले कर हजम कर गया हूं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार से कुछ ग्रांट मिली थी, जो कि होस्टल के लिए थी। इस रकम को दूसरे काम पर खर्च करने की इजाजत नहीं मिली थी इस लिए वह वापिस कर दी थी।

Resumption of Discussion on Demands for Grants of Account for April to June 1962.

Demands for Grants on Account.

श्री पोहलू उपनाम जगजीत सिंह: (शेरहदा): डिप्टी स्पीकर साहिब, पहली गवर्नमेंट ने हमारे इलाके तहसील कैथल का अंग्रेजों के वक्त से भी ज्यादा बुरा हाल कर रखा था। पहले वहां पर नहर जमनगबी का पानी ज्यादा मिलता था मगर अब वहां पानी की कमी की वजह से दो साल से कहत पड रहा है। इस लिए मैं यह गुजारिश करूंगा कि अब तो हमारा राज आ गया है इस लिए उस बैकवर्ड इलाके की डिवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन किया जाए। इस के अलावा वहां पर न वैटर्नरी हासिपिटल है और न ही कोई गवर्नमेंट कालेज हैं। इनक 1 भी वहां पर प्रबंध किया जाए। चौधरी रिजक राम ने हमारी इलाके को पानी नहीं दिया था और दूसरे इलाके में ले गए थे। इसलिए मैं अपनी सरकार को कहूंगा कि वहां पानी दिया जाए और जो पिछली

सरकार ने गलत बजट बनाया है उसे ठिक किया जाए। फिर मेरे इलाके में सडकें नहीं हैं और सडकों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। एक 16 मील का सडक का टुकडा देवीना से नगूरां तक अंग्रेजों के टाइम से उसे ही पडा हुआ है कितनी ही सरकारें बनीं और कितने ही एम0 एल0 ए0 आए लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसे पक्का किया जाए। मुझे उम्मीद है कि कम से कम यह सरकार तो उसकी तरफ ध्यान देगी। एक बात मैं। बडे जोर से कहूंगा कि वहां हमारे अेहात में आइयां जरूर भेजी जाएं, क्योंकि बहुत औरतें बच्चा होते समय मर जाती हैं और उन्हें मैडिकल एड नहीं मिल पाती। डंगरों का हस्पताल तो वहां है ही नहीं, अगर कोई छोटी मोटी डिस्पेंसरी है भी तो उस में दवाइयां नहीं है। यही हाल आदमियों की डिस्पेंसरियों का हैं फिर तहसील कैथल में तीन चार साल से टयूबवेलज कनेक्शन्ज के लिए ऐप्लीकेशंज पडी है, लेकिन कनेक्शंज नहीं मिलते है। सीमेंट का एक कटटा 18 रू0 का मिलता है। उसके लिए कई कई चक्कर लगाने पडते है। इसकी ब्लैक मार्किट जोरों पर है। इन बातों की तरफ भसी फौरी ध्यान दिया जाए और लोगों की मुश्किल को जल किया जाए। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे इलाके में कम से कम एक टैक्निकल कालेज जरूर खोला जाए जिससे वहां के बच्चे भी टेक्निकल शिक्षा ले सकें और उन्हें रोजगार मिल सके। हमारे स्कूल तो है लेकिन स्टाफ पूरा नहीं है तो आखिर में मैं यह अर्ज करूंगा कि सरकार को इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए और किसानों के मसलों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए

क्योंकि अगर किसान की तरक्की, होगी तभी हरियाणा की तरक्की होगी।

श्री प्रभु सिंह: (बरवाला ऐस0 सी0): डिप्टी स्पीकर साहिब, मै। हाउस में आज पहले दिन बोल रहा हूं इसलिए अगर कोई बात गलत हो जाए तो हाउस से माफी चाहूंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नया बजट है और नई सरकार है और यह सरकार जो इन्तकामी जालात में बनी है इसे अब इन्तकामी माहौल में काम नहीं करना चाहिए, सरकार को सरकार के इरादे से चलाना चाहिए। हाउस में ऐसा माहौल होना चाहिए जिस से जो लोग हरियाणा से हमें सुनने आते है वह यह बात अपने में लेकर जाएं कि हम उनकी भलाई के काम करते है। गो मैं कांग्रेसी हूं और चाहे यह आपोजिशन की सरकार हैं मगर हम सब सरकार को चान में सिसा लेते हैं लेकिन जा तमाशा मैं यहां पिछले तीन चार दिन से देख रहा हूं(शोर)

श्री जगन्नाथ: यह आपोजिशन की सरकार कैसे हुई....
(शोर)

श्री प्रभु सिंह: कोई बात नहीं आप बीच में न पड़ें, मैं उस से खुद समझ लूंगा। उसकी आदत है वह उसने बरतनी ही है(शोर)

डिप्टी स्पीकर साहिब, जब आपने टाइम मुझे बोलने के लिए दिया तो चह बीच में टोका टाकी कैसी? मुझे बोलने के लिए आप हुक्म देने वाला है या और कोई है.....

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलते जाएं ।

श्री प्रभु सिंह: मैं अर्ज करता हूं कि नए हरियाणा के पुराने बागवान यहां मौजूद है और मेरी यह सजेशन है कि किसी तरह हंतकाम से कोई बात हाउस में नहीं आनी चाहिए और इंतकाम से किसी से पेश नहीं आना चाहिए । जो भी हम लोग यहां आ हैं चाहे किसी पार्टी के है, सभी ने लोगों से वायदे किए थे कि हम उनकी भलाई करेंगे । कुछ लोग तो हम हैं और कुछ लागे वह हैं लेकिन वह और हम ओनो उक ह ।, जनता के नुमाइंदे हैं और सभी जनता की भलाई के लिए आए है । हम सब एक ही हैं पराए नहीं है ।

जबान कुछ और कहती है

शकल कुछ और कहती है,

मिसल कुछ ओर कहती है

नकल कुछ ओर कहती है

चाहे हम किसी जगह भी स्टैंड करते है जनता सब कुछ जान जाती है । जनता एक आइना है उसके चमकाने भडकाने से आम जनता मानने वाली नहीं है इसलिए दिल टिका कर चलना

चाहिए। यह जो डिमांडज पास होने जा रहीं है मैंने इन्हें बड़े गौर से देखा है और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पडता है कि भेड. बकरियों के लिए तो कुछ लाख रूपया मद में रखा है लेकिन जो गरीब हरिजन मुदतों से पिछडे हुए हैं, उनके लिए कोई पैसा नहीं रखा है। भेड. बकरियों की तो इन्हें बहुत फिकर है लेकिन इन गरीबों का इन्हें फिकर नहीं हुआ है। मैं अर्ज करूंगा कि अगर यह चीज इस वक्त रह गई तो अब इन्हें इन लोगों को उपर उठने के लिए जो कुछ करना चाहिए। चाहे सरकार इधर की है चाहे उधर की, इन गरीबों को तो सहारा सरकार से ही मिलना है और सरकार को सहारा देना भी चाहिए, लेकिन मुझे हैरानी हुई जब मैंने देखा कि हिरजन वेल्फयर के लिए कुछ भी इस बजट में नहीं है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि मुददत से यह विश्वास दिलाया जाता रहा है, और हम भी आशा लगाए बैठे थे कि जितनी सरपलस जमीन लैंड रिफॉर्मज से निकलेगी वह गांव के लैंडस लेलेंबरर्ज में बांटी जाएगी। यह बात हम मुददत से सुनते आ रहे थे और मुझे तो आज ही सरकार से बोलने का मौका मिला है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरपलस जमीन का हरियाणा में सरकारी कागजात में तो कब्जा दे दिया गया है। लेकिन मौका पर तो किसी को कबजा नहीं दिया गया यह तो इन गरीबों के साथ भारी ज्यादाती है कि कागजात में तो शीशम वाले खेत पर मुजारे का कब्जा बता दिया जाए, लेकिन जब मौका पर जा कर देखें तो उस पर उसका कबजा नहीं होता। मुजारों को बचाने के लिए सरकार ने सीक्योरिटी आफ

टैन्योर एक्ट बना लिया और यह कर दिया कि मुजारे को जब बेदखल किया जाए जब उसे पहले पांच एकड़ सरपलस जमीन दी जाए, लेकिन यह सरपलस नाम की दोधारी तलवार मुजारों के सिर पर लटकाई हुई है, बेदखल कर देते हैं लेकिन जमीन नहीं मिलती। सरकार का ध्यान इस तरफ होना चाहिए.....

मुख्य मंत्री: पिछली सरकार ने रखा था हम उस से ज्यादा रखेंगे।

श्री प्रभु सिंह: मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि न मेरा पिछली सरकार से ताल्लुक था और न इस सरकार से मुझे तो इस सरकार से ही आज बात करने का पहला मौका मिला है। जो सरकार में सामने है मैं उस कहता हूँ। आप हक बजानब है पिछली सरकार से आपका गुस्सा चलता होगा लेकिन मेरी सरकार अब यही है और पहले भी यही सरकार थी। मैं गरीब मजदूर हूँ **(Thumping by the Government Benches)** मेरा मतलब यह है कि पहले भी जनता की सरकार थी और अब भी जनता की सरकार है क्योंकि जनता के नुमाइंदे इस में है, चाहे इस तरफ के है चाहे उस तरफ के है। डैमोक्रेसी में तो उसी ही चलता है कि जिसके वोट ज्यादा है वह सरकार बनती है लेकिन कहलाती जनता की ही है। अगर आपकी सरकार भी हरिजनों को कुलेगी और कुचलती है तो

मुख्य मंत्री: यह तो सरकार ही हरिजनों की है यह चांद राम जी बैठे है।

श्री प्रभु सिंह: मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से कहता हूं कि किसी का नाम ले कर सरकार न बताएं। सरकार सब की मिली जुली है किसी एक आदमी की नहीं है। (विधन) मैं कहना चाहता हूं कि जब आप जतना से वोट मांगते हैं तो जतना की भाषा में मांगते हैं, हिन्दी में मांगते हैं, बागडी में मांगते हैं लेकिन जब जनता की डिमांडज आती हैं तो अंग्रेजी में बोल कर बहका दिया जाता है।

तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि लैंड रिफॉर्मज उक्ट के ऐसे हिन्दी के या दूसरे शब्दों का जिन को आम जनता समझती हो प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि अभी तक लोग तो दरकिनार रहे, सर्विसिज को पता नहीं कि 30 स्टैंडर्ड एकड. होता कितना है।

श्री उपाध्यक्ष: कृप्या आप अपना वक्तव्य जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री प्रभु सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि यह हरिजन लोगों के लिए इतनी रिजर्वेशन क्यों और जगह तो रिजर्वेशन है ही परन्तु यहां टाईम की भी रिजर्वेशन है। खैर, तो, जनाब, मैं यह अर्जकरने जा रहा था कि नौकरी प्राप्त करने के लिए हरिजनों को रूल्ज में 21 परसेंट की रिजर्वेशन बडे जोरदार

शब्दों में की गई है परन्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं। इस लिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर जरूर ध्यान दें और यदि यह सरकार 21 परसेंट नौकरियां हरिजनों को देने में कामयाब हो जाती है तो उन गरीब लोगों का बड़ा भला होगा।

मुख्य मन्त्री (बैठे हुए): अगर ऐसा हो गया तो क्या आप इधर आ जाएंगे।

श्री प्रभु सिंह: चीफ मिनिस्टर साहिब, ये गरीब हरिजन इधर जाएं या उधर जाएं इस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री रामधारी बाल्मीकी: आन ए प्वाएंट आफ आर्डर, सर। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा कि अगर इधर आ जाओ तो काम होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो लोग इस तरफ हैं वे लोगों के नुमाइंदे नहीं और क्या उनका काम वे नहीं करेंगे।

Mr. Deputy Speaker% This is no no point of order.

मुख्य मन्त्री: डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं अर्ज करना चाहूंगा ताकि गलत इम्प्रेसन लोगों में न रहें। पिछली सरकार ने हरिजनों के मामले में बहुत सी कमियां रख दी थी और वे सजेशन दे रहे थे कि ये कमियां दूर कर देनी चाहिए। मैं यह समझता हूं और इन्हें बता भी देना चाहता हूं ताकि गलत भ्रम न हो जाए कि यह सारी चीजें सरकार करेगी और करने का इरादा रखती है। तो मेरे कहने का सिर्फ यह मकसद था कि अगर यह सारे काम हो गए तो क्या वे इधर आ जाएंगे।

श्री प्रभु सिंह: यह उे अलग किस्म की बात आई है। लेकिन इतना मैं बता दूं कि हरिजन लोग इस तरह की कंडीशनल बात को मानने के लिए तैयार नहीं (तालियां) डिप्टी स्पीकर साहिब, इस बारे में मियां इफतखररुदीन का कहा हुआ शेष मुझे याद आया जो कि उन्होंने जेल में लोगोंके पूछने पर कि कैसे आए कहा थाकृ

गुनाहगारों में शामिल हू

गुनाहों से नावाकिफ हूं

सजा को जानता हूं

खुदा जाने खता क्या है।

तो जनाब यही बात है कि हम हरिजनों की। लेकिन बड. अफसोस की बात है कि इस राज के भी इसी तरह हरिजनों को खेतों में डराया जाता है और इसी तरह से यहां डराया जाता है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस गरीब हरिजन को गले से लगाओ। हरिजन आपका बच्चा है। इसका पालन पोषण किजिए।

श्री उपाध्यक्ष: आप कृप्या अब खत्म किजिए।

श्री प्रभु सिंह: अब ज्यादा नहीं कहता क्योंकि एक तो इधर से आपकी जल्दी हैं और उधर से बीच में कोई न कोई बात आ जाती है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह हरिजनों पर

रहम करे और यह जो जुल्म होता है इसको हटा दें। इनता कह कर और ज्यादा टाईम न लेकर समाप्त करता हूँ।

श्री शिव राम (नीलोखेड़ी): उपाध्या महोदय, आज जिन हालात में यह बजट सामने आया है वे यह है कि यह बजट तैयार तो किया था पहली सरकार ने लेकिन यह पेश हुआ है नई सरकार के वित्त मंत्री की ओर से। मैं समझता हूँ कि इतने थोड़े से समय में यह सरकार बजट को अच्छी तरह से पढ़ न पाई और इस को यह वैसे का वैसे ही हाउस में रखना पड़ा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि हमारी यह नई सरकार हो कि जनता की सरकार है इन तीन महीने की डिमांडज पर विचार करें और यदि इनके अन्दर कहीं कहीं कमियां हों तो उन को अगली बार दुरुस्त करके हाउस के सामने रखें। इनके बारे में मैं यह भी चाहूंगा कि जहां तक हो सके जायज तौर पर इस पैसे को इस्तेमाल में लाने की कोशिश करें। आज तक पन्द्रह साल में पिछली सरकार के वक्त, जो कि एक पार्टी की सरकार थी, बड़ी हेरा-फेरी होती रही। यहां जो बजट पास होता था उस के मुताबिक खजाने से रुपया तो निकाल लिया जाता था लेकिन जनता के कामों में आधे से भी कम खर्च होता रहा। इस तरह के कामों की सब से बड़ी मिसाल तो मैं देना चाहता हूँ भाखड़ा नहर की। उसके अन्दर कितनी हेरा फेरी हुई यह सब को पता है। आज बांध में दरारें पड़ी हैं। कई बार पानी ज्यादा जाने से खेत तबाह हो जाते हैं और कई बार पानी न पहुंचने से खेत सूख जाते हैं। तो इस तरह

से पिछले पन्द्रह सालों में बड़ी बेदर्दी के साथ रूप्या खर्च होता रहा है। इसी तरह के और कई हादसे हमारे सामने हैं लेकिन मुझे विश्वास है कि वर्तमान सरकार इन बातों को दूर करने का पूरा पूरा प्रयत्न करेगी।

(At this stage Chaudhri Shri Chand, a Member of the Panel of Chairment occupied the Chair.)

अब मैं उन बातों के बारे में जिन के लिए डिमांडज में पैसा रखा गया है, जिक करना चाहूंगा। इस के अन्दर जिक है न्यायप्रबन्ध का, इन्साफ करने का। पीछे जो व्यवहार हुआ सरकार की ओर से उससे तो ऐसी हालत हो गई थी कि न्याय का तो कहीं नाम नहीं क्यो कि कुछ लोगों का तो हौसला ही नहीं होता था कि वह सरकार के हाथों न्याय मांगे। यहां तक हालत हो चुकी थी कि थाने में थानेदार या दीगर अफसर यह देखते थे कि आया इस व्यक्ति की शिकायत, जो कि शिकायत लेकर आया है, दर्ज की जाए या नहीं। उन्हें डर होता था कि न जाने सरकार की तरफ से, उपाध्क्ष महोदय, लोगों का रूप्या बजाय इसकेकि उनके मुदाफ के लिए खर्च होता, बे-इन्साफी में खर्च होता रहा है और इस तरह की दखल-अन्दाजी होती रही जिस के कारण लोगों को इन्साफ नहीं मिला इसमें भी सुधार लाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी ऐसा मैं समझता हूं क्योकि आज जो सरकार आई है यह जनता की सरकार है, यह सब लोगों की सरकार है। यह कोई एक दल या पार्टी से नहीं बनी है। यह सब दलों की मिली जुली

तथा सब लोगों की राए से चलने वाली सरकार है और कुझे उम्मीद है कि अब इस में इन्साफ भी होगा।

इसके अलावा इस बजट में मुलिस के लिए भी काफी रूप्या मांगा गया है। इस में मैं यह चाहूंगा कि पुलिस के जिन कर्मचारियों ने लोगों को नाजायाज तौर पे र तंग किया और लोगों से बे-इन्साफी की ओर मैं तो कहता हूं कि जो बदचलन थे उनके खिलाफ इन्क्वायरी की जानी चाहिए क्योंकि उन लोगों पर यहां पर बहुत रूप्या खर्च होता है लेकिन वह काम आते है गलत आदमियों के। इसके लिए इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इसी तरह से मैं अब कुछ शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। शिक्षा के लिहाज से अक्वल तो सारा हरियाणा पिछडा हुआ है लेकिन जिा करनाल तो इस लिहाज से बहुत ही पिछडा हुआ है। वहां पर अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को छोड दिया जाए तो पता चलता है कि जिला करनाल तो बहुत पिदे छोड दिया गया है और खास तौर पर वहां पर लडकियों की शिक्षा का प्रबन्ध तो नही के बराबर है। वहां पर कोई भी सरकारी कालेज नहीं है। एक कृषि कालेज प्राइवेट खोला गया है जो पिछले दो सालो स चल रहा है लेकिन सरकार की ओर से इसे कोई रूप्या नहीं दिया गया। वह जनता की मदद स चल रहा है लेकिन सरकार इस तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रही। बावजूद गवर्नमेंट के पास एप्रोच करने के, इस कालेज को पिछजी सरकार की तरफ से कोई इमदाद नहीं दी गई (श्री मती ओम प्रभा जैन) 50 हजार रूप्या दिया गया है

इस के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि जिस फण्ड से इन्होंने 50 हजार रूपए की रकम कालेज के लिए मंजूर की थी उस के बारे में मुझे कल ही दरियाफत करने पर मालूम हुआ कि उस फण्ड में कुल 785 रूपए बकाया पड़े है। इस से साफ जाहिर होता है कि इन्होंने आखिरी दिन तक इस कालेज को मदद देने की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया पर मैं आशा करता हूं कि यह मौजूदा सरकार इस तरफ जरूर ध्यान देगी। और इस साल के बजट के अन्दर इस कालेज के लिए जयर प्रोविजन करेगी।

इसके बाद मैं महकमा हैल्थ के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जिला करनाल इस लिहाज से भी बाकी के इलाकों से बहुत पीछे रहा हुआ है। वहां पर लोगों के स्वास्थ्य के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। वैसे ही उस जिला में सरकारी डिसपेंसरियां बहुत कम है लेकिन जो दूर दूर के देहत हैं वहां पर तो यह नाम के बराबर ही है और जहां कहीं दूर देहात में कोई डिसपेंसरी है भी तो वहां पर कोई डाक्टर नहीं जाता और अगर डाक्टर चला भी जाए तो वहां पर दवाइयां नहीं होती।

श्री चैयरमैन: मेरे ख्याल में अब आप खत्म करें।

श्री शिव राम: बस जी, मैंने थोड़ी से बात कृषि के बारे में कहनी है। खेती के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो यह कि पानी से खेती मरे नहीं और दूसरी यह कि पानी के बगैर खेती सूख न जाए लेकिन इस बारे में, मैं जिला करनाल कि

हालत सदन के सामने रखना चाहता हूं । करनाल में सब से ज्यादा फलडज आते हैं जिन से लोगों की फसलें तबाह होती हैं और उनका और बहुता सा माली और जानी नुकसान होता है । इस लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए वहां पर फलडज को रोकने को इंतजाम करें । इसके लिए आने वाली बरसात के मौसम से पहले वहां पर ड्रेन्ज सिस्टम मुकम्मल करवाएं ताकि फसलें भी बच सकें और लोगों का फलडज से नुकसान न हों । फिर खेती-बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवैल्ज लगाए जाएं और जहां पर पहले ट्यूबवैल लोगों ने लगा रखे हैं लेकिन उन्हें अभी तक बिजली नहीं दी गई वहां उन्हें जल्दी बिजली देने का इंतजाम किया जाए ।

श्री चेयरमैन: बस जी, अब आप बस करें और मेम्बरों ने भी बोलना है ।

श्री शिव राम: एक दो बातें मैंने पशु पालन और इंडस्ट्रीज के बारे में कह कर मैं आनी सीट पर बैठ जाऊंगा । पशु-पालन के बारे में इतना ही सरकार से कहना चाहता हूं कि इस काम के लिए बजट में काफी प्रोविजन किया जाना चाहिए । इण्डस्ट्री के लिहाज से हमारा जिला करनाल, मैं समझता हूं कि सब से पिछड़ा हुआ है । इसलिए करनाल के अन्दर बड़ी और छोटी सब इण्डस्ट्रीज लगाई जाएं । नीलोखेड़ी शहर भी इण्डस्ट्री के नाम पर बना था लेकिन इस के विकास के लिए वहां कोई

इंतजाम नहीं किया गया। अम तो वहां पर हालत यह होती जा रही है कि शहर में इण्डस्ट्री के न फैलने के कारण रौनक कम होती जा रही है। इसलिए इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

एक बात मैं सड.कों के बारे में कह कर अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा। जिला करनाल की सड.कों की गलत भी बड़ी बुरी है। मैं आशा करता हूं कि फिनांस मिनिस्टर साहिब इस तरफ अपना ध्यान देंगे और बजट के अन्दर इस मतलब के लिए काफी रकम प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही मैं सदन का ध्यान इस ओर खास कर के मिनिस्टर साहिब का ध्यान एक सड.क यानि करनाल से कौड. साया कांछवा की सड.क के लिए जो बजट में 50 हजार रूपए की रकम प्रोवाइड की गई है उस की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह सड.क 20 मील लम्बी बननी है लेकिन इस के लिए यह जो 90 हजार की रकम रखी गई है बहुत थोड़ी है, क्योंकि सड.क के बनने में बहुत रूपए खर्च आते हैं।

आखिर में मैं यह कर बैठ जाता हूं कि बजट में जिन जिन जरूर बातों की तरफ मिनिस्ट्री का मैंने ध्यान दिलाया है उन की तरफ ध्यान देकर मुझे आशा है कि सरकार उन में सुधार लाएगी और जिला करनाल के लोगों की असुविधाओं को दूर करेगी।

श्री महासिंह (मेहम): चेयरमेन साहिब, हरियाणा प्रदेश जो बना है जिस कि यह पहली विधान सभा है, यह हर लिहाज से बडा बैकवर्ड रहा है और विशेष तौर पर शिक्षा के लिहाज से तो यह बहुत ही बैकवर्ड है। इस की बग्कवर्डनेस को दूर करने की हम पर बडी जिम्मेवारी हमें निभानी भी चाहिए। इसके लिए जितनी भी ज्यादा ज्यादा कुरबानी हमें करनी पडी वह हमें करनी चाहिए। क्योंकि समय थोडा है। इसलिए मैं केवल शिक्षा के बारे में कुछ बातें करूंगा। जहां तक शिक्षा का ताल्लुक है। चाहे हरियाणा इस समय बहुत पिछडा हुआ है लेकिन मैं समझता हूं कि शिक्षा में हरियाणाको बाकी की स्टेटस से लीड लेनी चाहिए। यहां पर जो टीचर्ज के पे—स्केल है वह अच्छे होने चाहिए क्योंकि शिक्षा का म्यार तब तक उंचा नहीं हो सकेगा जब तक हम टीचर्ज के पे—स्केल अच्छे नहीं करेंगे। इसलिए सरकार को जल्दी ही इस तरफ कदम उठाने चाहिए।

दूसरी बात मैं डिवैल्पमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। इस के लिए मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिन गांवों की आबादी पांच हजार है या उस से उपर है उन को डिवैल्पमेंट का खास ख्याल रखा जाए। जब सरकार ने नए स्कूल खोलने हों या हस्पताल खोलने हों या बिजली पहुंचानी हो या और इस तरह की सहूलियतें देनी हों तो पहले इन बडे बडे गांवों को देनी चाहिए। इस के साथ ही जो पिछडे हुए इलाके हैं या पिछडी हुई तहसीलें हैं उन की डिवैल्पमेंट की तरफ विशेष

तौर पर ध्यान देना चाहिए। जैसे रोहतक जिला की तहसील गोहाना है जिस को पहले भी सरकार ने बैकवर्ड एरिया करार दे रखा है। गोहाना तहसील में जो मेहम का हलका है वह तो और भी ज्यादा पिछडा हुआ है, उस की डिवेल्पमेंट की तरफ सरकार को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। इस के साथ ही सरकार से दरखास्त करूंगा कि डिवेल्पमेंट के लिए वह इस बात को जरूर आधार बना ले कि जिन गांवों की आबादी पांच हजार है या इस से भी ज्यादा है, क्योंकि वहां ज्यादा लोग रहते हैं इस लिए उन की डिवेल्पमेंट पहले की जाए और उन की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए।

श्रीमती लेखवती जैन (नांगल): चेयरमेन साहब, आज हाउस के सामने जो बजट की डिमांडज है उनके उपर काफी डिसकसन हो रही है। आप के जिरए में गवर्नमेंट से यह कहना चाहती हूं कि जल्दी ही वर्षा का मौसम यहां आने वाला है इसलिए सबसे पहले इसे इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि जहां जहां पर पुलों की जरूरत है या जहां जहां पर बांधों की जरूरत है वहां पर यह काम अभी से शुरू कर देने चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट को यह मालूम है कि जब फलडज की वजह से गांव पानी में डुब जाते हैं तो वहां के लोगों को सहायता के रूप में सरकार को हजारों रूपए खर्च करने पडते है। इसलिए मैं कहती हूं कि आज मौका है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और फलडज की रोकथाम

की जाए। मैं तो हर साल गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ दिलाती रही हूँ।

जनाब चेयरमैन साहिब, मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमें अपना ध्यान सब से पहले अनाज की कमी को दूर करने की तरफ देना चाहिए क्योंकि गिजा की कमी का मसला हमारे देश के सामने एक विकट रूप धारण के के खड.। है इसलिए इस समस्या को हल करने की तरफ हमें पूरा ध्यान देना चाहिए किंतु जो समस्या पैदावार की है वह पूरी नहीं होती। मैंने बहुत बातें कहने है मगर मेरा ख्याल हैकि मुझे ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैं जरूरी बातें ही कहूंगी।

छेहात के अन्दर जो गरीब है, हरिजन हैं उन्हें राशन कम मिलता है, जब कि शहरों के अन्दर जो रहने वाले हैं उन्हें ज्यादा राशन पर-हैड मिलता है मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या देहात वाले कम खाते हैं इसलिए कम किदया जाता है मैं समझती हूँ कि आदमी हर जगह बराबर होता है और देहात में तो लोग जो मेहनत करते है वह शहर के लोगों की निस्बत ज्यादा ही खाते है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस बंटवारे की ओर ध्यान दें।

यह गवर्नमेंट या कोई दूसरी गवर्नमेंट क्यों न हो, अगर वह स्कीमें पानी मुहैया करने के लिए सोचती है, तो अच्छी बात है, लेकिन स्कीमाके में लगे न रह कर पानी का इंतजाम फौरन करना चाहिए और ट्यूबवेलज के लिए कनैक्शन मिलने चाहिए।

जहां तक यह कहा जाता है कि यह हमारा काम नहीं ही, यह तो पिछली सरकार कर गई है, इससे अब काम नहीं चलेगा। अब तो जिम्मेदारी आपकी है और आपको काम करना पड़ेगा।

श्री चेयरमेन: आपको एक मिनट ओर दिया जाएगा।

श्री मती लेखवती जैन: मैं अन्त में क चीज की तरफ खासतौर पर ध्यान दिलाना चाहती हूं। वह चण्डीगढ़ का मसला। यह गवर्नमेंट इस बात को खास तौर से ध्यान में रख ले कि इस मामले में से बिलकुल ढीला नहीं होना चाहिए। अगर यह बात कही जाए कि चण्डीगढ़ एक कोने में है तो मैं बतला देना चाहती हूं कि पहले जब लाहौर राजधानी हुआ करनी थी तब भी तो लोग जाते थे और इस बात की परवाह नहीं की जाती थी। इसलिए यह कमजोरी नहीं आनी चाहिए। बाकी का यह तो तय ही है कि कमिशन का फैसला हमारे हम में था कि चण्डीगढ़ पर हरियाणा का हक है इसलिए पूरी कोशिश करके अपने हक की रक्षा करनी है। मैं सिर्फ थोड़ा सा टाईम और लूंगी।

श्री चेयरमेन: आप तो हमें एक मिनट भी नहीं दिया करती थी।

श्री मती लेखवती जैन: ठीक है, बदला ले रह है आप। मैं अभी वाइंड अप करती हूं। जिला अम्बाला बहुत पिछड़ा हुआ है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं अपने उन कांग्रेसी भाईयों से

उतनी ही तवक्को करती हूं कि जितना काम वह इधर रह कर करते थे, वह उतना काम तो जरूर करेंगे। यह कह कर मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

वित मन्त्री(श्री मूलचंद जैन): जनाब चेयरमेन साहिब, यह बजट आन अकाउंट जिस पर हाउस में कइस हो रही हैं, यह दरअसल पहली गवर्नमेंट का है।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: जिसका बहुत सा अच्छा हिस्सा छोड. दिया गया है।

वित मन्त्री: अच्छा हो, श्रीमती ओम प्रभा जैन जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी है, टाइम लेकर बोल लें। जहां तक मेरा छोड.ने या न छोड.ने का ताल्लुक है मैं यह कहना चाहता हूं कि इन किताबों में से मैंने कोई कमी नहीं की है। हां जो इजाफा हुआ है, वह मैं बतलाता हूं। लेकिन उससे पहले मैं यह बतला दूं कि कइस हाउस में एक गलती का जिक्र आया था जो सफा 2.3 पर है, जहां लिखा है इन थाएजेंडस रूपीज वहां पर इन हैंडरेडज के लफज चाहिए थे। यह टाइपिंग मिसटेक है, यह सु. कर दी जाएगी। मैं इस वक्त ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। मैं अपना प्वायंट अउ व्यू चंडगड के बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं जिस पर कि हाउस में बहस हुई मुझे ताज्जुब है कि हमारे कांग्रेसी भाइयों में से भी कई एक ने चंडीगढ. की समस्या का जिक्र किया। दरअस तो यह उन्हीं की बनाई हुई गवर्नमेंट का पैदा मरदा मसला

है वरा जहा तक चंडीगढ का सवाल है जो रीआर्गनाइजेशन कमीशन बना था उनकी रिक्मेंडेशन थी कि यह हरियाणा में होना चाहिए। जब उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया तो उसके बाद कुछ इधर उधर के दबाव हुए जिस पर जिन्द सरकार ने यह फैसला किया कि यहां दोनों सरकारें रहें और इसे यनियन टेरिटरी करार दे दिया गया। इस पर भी कुछ भाइयों की तसल्ली नहीं और एजिटेशन की धमकी दी गई और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर को पिछली कांग्रेसी सरकार ने ही सालस माना। जहां तक इस गवर्नमेंट का ताल्लुक है मैं तमाम हरियाणा की जनता को इस हाउस की मारफत यकीन दिलाना चाहता हूं कि चंडीगढ के इशू पर हरियाणा की जनता के सैंटीमेंट्स की पूरी कदर करते हैं। और उनकी विशिज के मुताबिक हम पूरा जोर लगा कर चंडीगढ के मसले को सुलझाएंगे। प्राइम मिनिस्टर चूंकि सालस है, इसलिए उन तमाम चीजों पर यह गवर्नमेंट गौर करके अपना फैसला जो होगा वह हाउस के सामने रख देगी।

इसके अलावा हरियाणा में जो हमने छोटे किसानों को मालगुजारी की मुआफी दी है, मुझे यह सुन कर ताज्जुबब हुआ कि एक ऐसे मेम्बर ने नुक्ता-चीनी की है जो कि खुद जमींदार फ़ैमिली से ताल्लुक रखता है।

श्री मती ओम प्रभा जैन: यह फैसला हो गया है या अभी करना है।

वित्त मन्त्री: अगर इसमें कोई शक है तो मैं अब क्लीयर कर देता हूँ कि इस सरकार का फैसला है कि पांच एकड़ तक के जो हरियाणा में जमींदार हैं न से मालिया नहीं लिया जाएगा। बल्कि जिस सरकार की मेरी बहन मेम्बर थी उस का फैसला नहीं था कि रैवेन्यू माफ किया जाए। इसके अलावा चाही रेट मुआफ करने का भी उनका फैसला नहीं है कि जो खुद पैसे लगा कर कुआं लगाए उससे ज्यादा रेट पर मालिया न लिया जाए। हमारी गवर्नमेंट ने चाही रेट मुआफ कर दिया है।

चौधरी रिजक राम: दो किस्म के टैक्स हैं, एक तो नलचाही लगता है और एक बारानी से अगर चाही हो जाए तो उस पर लगता है क्या यह दोनों ही मुआफ कर दिए गए हैं।

मुख्य मन्त्री: पिछले बन्दोबस्त के बाद कुएं लगाने के बाद जितना मामला चाही के नाम पर है वह सब मुआफ कर दिया है।

चौधरी रिजक राम: चाही रेट जो बारानी जमीन में कुएं लगाने के अलावा है have you remitted that also ?

Chief Minister: All taxes because of that will be remitted.

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the chair).

वित्त मन्त्री: मेरे गुडगांव जिले से आए हुए भाई जोकि किसान फैमिलीज से ताल्लुक रखते है, अगर वह भी नुक्ताचीनी करे कि साहिब क्यों 14, 15 लाख रुपया मुआफ कर दिया, वह कहीं और खर्च करते, तो बड़े अफसोस की बात है मुझे अफसोस हैकि जिस जमात से उनका वास्ता रहा है, जो अब तक हकूमत करती रही है और जो दावा करती रही है कि छोटे किसान के और हरिजनों की भलाई का काम करेंगे वह 2६4 एकड. जमीन वालसे से मालगुजारी लेते रहे और आज अगर हमारी गवर्नमेंटने उन कोमुआफी दी है तो बजाए इस के कि वह धन्यवाद करते, लेकिन उन्होंने उल्टी नुक्ताचीनी की है। मुझे तो यह विश्वास है कि शायद उन्होंने नुक्ताचीनी के ख्याल से ही वह बातें कही हो और अगर वह जरा ठंडे दिल से सोचते हैं तो ऐसा न कहते। फिर यहां पर कहा गया कि कुर्रप्शन है, बहुत रैड टैपिज्म है एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं पूछना चाहता हूं कि अब जो बांग्रस बैचिज पर आपोजशन में बैठे हुए है क्या वह अपने गिरेबां में मुंह डाल कर देखेंगे कि उस का जिम्मेवार कौन है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि कांग्रेस जो आज तक कई साजों से कुर्रप्शन फेबरेटिज्म और नैपोटिज्म करती रही है, उसी का नतीजा है कि आज हिन्दुस्तान की जनता ने कांग्रेस को 5.6 सूबों में हराया है।

यह एडमिनिस्ट्रेशन की खराबियों की वजह से ही हुआ है। पिछले दिनों यहां पंजाब सरकारान ने हनुमंथिया कमेटी बैठाई थी, मैं उस वक्त उनके सामने बतौर गवाह पेश हुआ था। उस

वक्त मैंने जो कुछ लफज कहे थे वह मैं फिर दोहराता हूं कि किस तरीके से यह मशीनरी का सत्यानाश करते रहै है। एक आदमी जिस की बाजार में एक क्लर्क के बराबर भी कीमत न हो अगर वह वजीर बनता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का सत्यानाश नहीं करेगा तो और क्या करेगा। डिप्टी स्पीकर साहिब धन्य है यह हिन्दुस्तान की जनता जिन्होंने महात्मा गांधी और जवाहर लाल की वजह से इतने दिनों तक कांग्रेस के गुनाहों को मुआफ किया लेकिन आज वह वक्त आ चुका है कि उनकी ज्यादातियों को जनता बरदाशत नहीं कर सकती। इसलिए मैं अपने समाने बैठे साथियों से कहता हूं कि वह फ्लोर कास करने मामले को यहां उठा कर हमें प्रोवोक न करें। अभी दौलता साहिब ने इस का जवाब दिया था और मैं फिर दोहराता हूं कि आप के लीडर भगवत दयाल जिस की कुरप्शन की वजह से हमने इस्तीफा दिया था वह जिस हलका में पैदा हुए थे उस हलका में इलैक्शन लड कर जीत कर आए तो हम मान सकते हैं कि पब्लिक में उन की कोई पूछ हैं (प्रशंसा)। खैर, मैं इस कंट्रोवर्सी को और ज्यादा लम्बा नहीं करना चाहता, किसी और मौके पर कहूंगा।

मेरे दोस्तों ने हरिजन कल्याण के लिए कुछ बातें कही। मैं उन को यकीन दिलाता हूं कि मेरे रोम रोम में हरिजनों के कल्याण की बात लिखी हुई है।

रामायण में किससा आता है कि जब हनुमान जी से पूदा गया कि राम कहां हैं तो उनहोंने छाती खोल कर दिखा दी

कि यह है मेरे दिल में। मैं तो अर्ज करता हूँ कि मेरे दिल में हरिजनोंकी भजाई हैं जहां तक इस बजट का (शोर) मैं अर्ज करूंगा कि अगर कोई दोस्त बकायदा आपकी इजाजत से खड़े हो कर बात करना चाहें तो करें लेकिन यह तरीका गलत है। मुझे अभी वजीर माल चौधरी चांद राम जी ने जो पिछली सरकार में इस के इंचार्ज थे, बताया है कि जो 30-40 लाख रूपए की हरिजन कल्याण की स्कीमें इनहोनें भेजी और ऐफ0 डी0 ने मंजूर की वह स्कीमें भी इस बजट में नहीं आई है..... (शोर) जहां तक इस सरकार का ताल्लुक है हम ने बजट स्पीच में भी कहा है कि उन पद विचार करेंगे। मैं खुश हूंगा और चांद राम जी भी मुझ से भी ज्यादा.....

श्री प्रभु सिंह: आपके सम के रोम रोम में तो हरिजन वेल्फेयर है लेकिन दिल से निकाल कर उसे कागज पर भी लाएं।

चौधरी रिजक राम: जैन साहिब ने फरमाया कि जो बजट के कागज पेश किए गए है वह उन्होनें देखे ही नहीं। यह तो बडी सीरियस बात हैकि एक फिनांस मिनिस्टर बगैर देखे ही कागज हाउस में मेश कर दे(शोर) इन से आप फिर पूछ लें कि क्या इन्होने वह कागज देख कर पेश किए है(शोर)

श्रीमती ओम प्रभा जैन: वजीर साहिब एक जिम्मेदार मिनिस्टर है उनहें कोई गलत स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। बेहतर होता कि हाउस में कहने की बजाय वह फाइल मंगाकर देख लेते,

महकमा के अफसरों को पूछ लेते और फिर यहां जिम्मेदारी से बात करते कि कया फैसला हुआ था। वह रौंग स्टेटमेंट कर रहे थे।
....(शोर)

वित्त मन्त्री: अभी चौधरी रिजक राम जी ने फरमाया कि

.....

चौधरी रिजक राम: तो आप सीरियस नहीं थे। मैं अर्ज करता हूं कि कुछ मैम्बरान की तरफ से कुछ सैल्युएबल सजैशन्ज आई। मिसाल के तौर पर एक भाई ने कहा कि किसानों को जो कर्ज मिलता है उस पर सात फीसद सूद लिया जाता है। और इण्डस्ट्री वालों से 3.5 फीसदी सूद लिया जाता है। मुझे खुद इस बात से ताज्जुब हुआ कि इस किस्म की चीज हो रही है। इस पर गवर्नमेंट लाजमी तौर से विचार करेगी।(प्रशंसा)

चौधरी रिजक राम: एलान ही कर दो, विचार क्या करना है।

वित्त मन्त्री: इसी तरीके से एक साहिब ने फरमाया कि जो बी0डी ओज है, तहसीलदार है उनके काम ओवरलेप करते हैं। हम सबका ही यह तजुरबा है और इस मसले पर गवर्नमेंट सीरियसली विचार करेगी.... अगले महीने जब बजट पर पूरी डिसकशन होगी तब सारी बात पर विचारहो जाएगा..... (शोर)

..सब—इस्पेक्टरों की कतारों की कतारें हैं। इस सदन के सभी मेम्बर जानते हैं कि किस तरह लोग इन से दुखी हैं इन्स्पैक्टोरेट

स्टाफ की जो फौज है उसमें कमी करने की सरकार कोशिश करेगी मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यह गवर्नमेंट किसी चीज में डिले नहीं करने देगी जितने जल्दी से जल्दी फैसले हो सकेंगे किए जाएंगे। एक और चीज की तरफ खास तौर पर बुकला साहिबान ने ध्यान दिलाया है कि जुडिशरी तो एग्जैक्टिव से अलहदा की गई लेकिन जो 107-159 के केसिज है वह एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट के ही सर्पुद किए गए.....

श्री कृष्ण लाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। वजीर साहिब ने कहा कि महकमों में स्टाफ की कतारें कम करेंगे लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वह मिनिस्ट्रों की इतनी बड़ी कतार को भी कम करेंगे। (हंसी)

Deputy Speaker: This is no point of order

वित्त मन्त्री: मैं अर्ज कर रहा था कि मैं उन साथियों का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 107-151 वाली बात उठाई और इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाया। देहाती भाई खास तौर पर इस से परेशान है। चीफ मिनिस्टर साहिब और कैबिनेट इस चीज पर विचार करेंगी। इस से होता यह है कि कोई भी उठा कर अगर एक अर्जी एस० पी० को भेज दे तो वह एस० एच० ओ० के पास जाती है। वह झगड़े में गए बगैर दोनों पार्टीज के दो दो चार चार आदमी गिरफ्तार कर लेता है। यह तो वाकई क सकेंडल बना हुआ है। गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी और आई० जी० की मारफत हिदायत होगी कि अगर कोई एस० एच०

ओ० तंग करता है तो उसके खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जाए। इस के अलावा जो छोटी छोटी बातें हैं उनकी तफसील में न जाता हुआ क्योंकि जो भी सजेशनज उनकी तरफ से आई है, उन पर संजीदगी से विचार किया जाएगा बिला लिहाज इस बात के लिए कि वह सजेशनज इस तरफ से आई या उस तरफ से आई है। इन शब्दों के साथ मैं अपील करता हूं कि सदन इन डीमांडज को मंजूर करें।

VOTING OF THE DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT

Mr. Deputy Speaker: Qustion is-

That a sun not exceeding Rs 1963980 be granted to the governor on acct to defray the charges that will come in the couse of payment for the year 1967-68 from the 1st April to the 30 June 1967 in respect of 9 Land revenue.

That a sum not exceeding Rs.1,53,800 be granted to the Governor on acct, to defrary the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 10- State Excise Duties.

That a sum not exceeding Rs.69,900 be granted to the Governor on acct, to defrary the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 11- Taxes on Vehicles

That a sum not exceeding Rs.4,73,700 be granted to the Governor on acct, to defrary the charges that will come

in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 12- Sales Tax.

That a sum not exceeding Rs.3,66,750 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 13- Other Taxes and Duties.

That a sum not exceeding Rs.84,000 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 14- Stamps.

That a sum not exceeding Rs.8,000 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 15- Registraton Fees.

That a sum not exceeding Rs.4,65,690 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 18- Parliament State and Union Territory Legislatures.

That a sum not exceeding Rs.48,85,050 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 19- General Administration.

That a sum not exceeding Rs.7,71,000 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come

in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 21- Administration of Justice.

That a sum not exceeding Rs.9,11,800 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 22- Jails.

That a sum not exceeding Rs.1,02,059,700 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 23- Police.

That a sum not exceeding Rs.54,180 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 25-Supplies and Disposals .

That a sum not exceeding Rs.5,00,830 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 26- Miscellaneous Departments.

That a sum not exceeding Rs.11,130 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 27-Scientific Departments.

That a sum not exceeding Rs.2,55,95,310 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 28-Education.

That a sum not exceeding Rs.56,03,500 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 20- Medical.

That a sum not exceeding Rs.58,18,400 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 30- Public Health.

That a sum not exceeding Rs.74,05,420 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 31- Agriculture.

That a sum not exceeding Rs.21,91,900 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 33- Animal Husbandry .

That a sum not exceeding Rs.10,00,000 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 30- Co Operation.

That a sum not exceeding Rs.19,83,020 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will

come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 35- Industries.

That a sum not exceeding Rs.37,95,000 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 37- Community Development Projects, N.E.S. and Local Development Works.

That a sum not exceeding Rs.25,00,000 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 38- Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs.6,80,540 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 39- miscellaneous, Social and Developmental Organisations.

That a sum not exceeding Rs.99,01,870 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 42-Multi-Purpose River Schemes.

That a sum not exceeding Rs.64,30,000 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 44-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works (Non Commercial).

That a sum not exceeding Rs.27,50,000 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of charges on Irrigation Establishment.

That a sum not exceeding Rs.35,91,000 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 50- Public Works.

That a sum not exceeding Rs.14,40,740 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of charges on Buildings and Roads Establishment.

That a sum not exceeding Rs.1,53,800 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 10- State Excise Duties.

The motions were carried

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs.77,63,700 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 57- Road and Water Transport Schemes.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker: Question is:

That a sum not exceeding Rs.10,00,000 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 64- Famine Relief.

That a sum not exceeding Rs.19,85,900 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 65- Pensions and Other Retirement Benefits.

That a sum not exceeding Rs.10,200 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 67- Privy Purses and Allowances to Indian Rulers.

That a sum not exceeding Rs.9,14,530 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 68- Stationary and Printing.

That a sum not exceeding Rs.20,00,000 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 70- Forest.

That a sum not exceeding Rs.39,16,760 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will

come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 71- Miscellaneous.

That a sum not exceeding Rs.19,790 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 76- Other Miscellaneous.

That a sum not exceeding Rs.1,000 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 78- Preparation Payments.

That a sum not exceeding Rs.40,750 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 78-A- Expenditure Connected with National Emergency.

That a sum not exceeding Rs.3,58,000 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 95- Capital outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

That a sum not exceeding Rs.70,16,000 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 96- Capital outlay on Industrial and Economic Development.

That a sum not exceeding Rs.83,15,000 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 98- Capital Outlay on Multipurpose River Scheme.

That a sum not exceeding Rs.77,00,000 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 99- Capital outlay in Irrigation, Navigation , Embankment and Drainage works (Commercial).

That a sum not exceeding Rs.1,20,28,000 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 103- Capital outlay on Other Works.

That a sum not exceeding Rs.25,000 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 109- Capital Outlay on Other Works.

That a sum not exceeding Rs.28,61,700 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 114- Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes.

That a sum not exceeding Rs.14,700 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come

in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 120- Payment of Commuted Value of Pensions.

That a sum not exceeding Rs.7,96,92,620 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of 124- Capital Outlay on Schemes of government Trading.

That a sum not exceeding Rs.4,61,00,000 be granted to the Governor on account, to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1967-68 (from the 1st April to 30th June, 1967) in respect of Loans to Local Funds- Private Parties etc., Loans to Government Servants.

The motions were carried.

Mr. Deputy Speaker: The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 30th March, 1967.

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Thursday the 30th March 1967)